इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 मई 2017—वैशाख 13, शक 1939

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3 मई 2017

क्र. 11230-वि.स.-विधान-2017—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) जो विधान सभा में दिनांक 3 मई 2017 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, २०१७

क्रमांक ११ सन् २०१७

विषय-सूची

खण्ड :

अध्याय १
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार.
२. परिभाषाएं.

अध्याय २
प्रशासन

३. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी.
४. अधिकारियों की नियुक्ति.
५. अधिकारियों की शक्तियां.
६. कतिपय परिस्थितियों में केन्द्रीय कर अधिकारियों को समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकार देना.

अध्याय ३

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

७. प्रदाय की परिधि.
८. संयुक्त और मिश्रित प्रदायों पर कर का दायित्व.
९. उद्ग्रहण और संग्रहण.
१०. प्रशमन उद्ग्रहण.
११. कर से छूट देने की शक्ति.

अध्याय ४

प्रदाय का समय और मूल्य

१२. माल के प्रदाय का समय.
१३. सेवाओं के प्रदाय का समय.
१४. माल या सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर की दर में परिवर्तन.
१५. कराधेय प्रदाय का मूल्य.

अध्याय ५

इनपुट कर प्रत्यय

१६. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें.
१७. प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन.
१८. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता.
१९. जाब वर्क के लिए किये गए इनपुट और भेजे गए पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना.
२०. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.
२१. आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति.

अध्याय ६

रजिस्ट्रीकरण

२२. रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति.
२३. व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है.
२४. कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण.
२५. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया.
२६. रजिस्ट्रीकरण समझा जाना.
२७. आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध.
२८. रजिस्ट्रीकरण का संशोधन.
२९. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.
३०. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण.

अध्याय ७

कर बीजक, प्रत्यय और विकलन टिप्पण

३१. कर बीजक.
३२. कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध.
३३. कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित की जाने वाले कर की रकम.
३४. जमा पत्र और नामे नोट.

अध्याय ८

लेखे और अभिलेख

३५. लेखे और अन्य अभिलेख.
३६. लेखों के प्रतिधारण की अवधि.

अध्याय ९

विवरणियां

३७. जावक पूर्तियों के ब्यौरे देना.
३८. आवक पूर्तियों के ब्यौरे देना.
३९. विवरणियां देना.
४०. प्रथम विवरणी.
४१. इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति.
४२. इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना.
४३. आउटपुट कर दायित्व का मिलान, प्रतिलोम और प्रतिदाय.
४४. वार्षिक विवरणी.
४५. अंतिम विवरणी.
४६. विवरणी व्यतिक्रमियों को सूचना.
४७. विलंब फीस का उद्ग्रहण.
४८. माल और सेवा कर व्यवसायी.

अध्याय १०

कर संदाय

४९. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय.
५०. विलंबित कर संदाय पर ब्याज.
५१. स्रोत पर कर कटौती.
५२. स्रोत पर कर का संग्रहण.
५३. इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण.

अध्याय ११

प्रतिदाय

५४. कर प्रतिदाय.
५५. कतिपय मामलों में प्रतिदाय.
५६. विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज.
५७. उपभोक्ता कल्याण निधि.
५८. निधि का उपयोग.

अध्याय १२

निर्धारण

५९. स्वत: निर्धारण.
६०. अनंतिम निर्धारण.
६१. विवरणियों की संवीक्षा.
६२. विवरणियों को फाइल न करने का निर्धारण.
६३. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण.
६४. कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण.

अध्याय १३

लेखापरीक्षा

६५. कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा.

६६. विशेष लेखापरीक्षा.

अध्याय १४

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

६७. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति.

६८. संचलन में मालों का निरीक्षण.

६९. गिरफ्तार करने की शक्ति.

७०. व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति.

७१. कारबार परिसरों तक पहुंच.

७२. समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी.

अध्याय १५

मांग और वसूली

७३. कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.

७४. कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.

७५. कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध.

७६. संगृहित किन्तु सरकार को संदत्त न किया गया कर.

७७. गलती से संगृहित किया गया और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर.

७८. वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना.

७९. कर की वसूली.

८०. कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय.

८१. कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना.

८२. कर का संपत्ति पर पहला प्रभार होना.

८३. कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की.

८४. कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण.

अध्याय १६

कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

८५. कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व.

८६. अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व.

८७. कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व.

८८. परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व.

८९. प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व.

९०. फर्म के भागीदारों का कर का संदाय करने के लिए दायित्व.

९१. संरक्षकों, न्यासियों आदि का दायित्व.

९२. प्रतिपाल्य अधिकरण आदि का दायित्व.

९३. कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध.

९४. अन्य मामलों में दायित्व.

अध्याय १७

अग्रिम विनिर्णय

९५. परिभाषाएं.
९६. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी का गठन.
९७. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन.
९८. आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया.
९९. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी का गठन.
१००. अपील प्राधिकारी को अपील.
१०१. अपील प्राधिकारी के आदेश.
१०२. अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि.
१०३. अग्रिम विनिर्णय का लागू होना.
१०४. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना.
१०५. प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की शक्तियां.
१०६. प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की प्रक्रिया.

अध्याय १८

अपील और पुनरीक्षण

१०७. अपील प्राधिकारी को अपीलें.
१०८. पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां.
१०९. अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठें.
११०. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि.
१११. अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया.
११२. अपील अधिकरण को अपील.
११३. अपील अधिकरण के आदेश.
११४. राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां.
११५. अपील के दाखिल करने के लिए संदत्त रकम की वापसी पर ब्याज.
११६. प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी.
११७. उच्च न्यायालय को अपील.
११८. उच्चतम न्यायालय को अपील.
११९. राशियां जो अपील आदि के होने के बाद भी संदत्त की जानी हैं.
१२०. कतिपय मामलों में अपील फाइल नहीं किया जाना.
१२१. अपील न किए जाने योग्य विनिश्चय और आदेश.

अध्याय १९

अपराध और शास्तियां

१२२. कतिपय अपराधों के लिए शास्ति.
१२३. सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति.
१२४. आंकड़े देने में असमर्थ रहने पर जुर्माना.
१२५. साधारण शास्ति.
१२६. शास्ति से संबंधित सामान्य अनुशासन.
१२७. कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति.
१२८. शास्ति या फीस या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति.
१२९. अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण.
१३०. माल या प्रवहण की जब्ती और शास्ति का उद्ग्रहण.
१३१. जब्ती या शास्ति अन्य दंडों से व्यतिरेक नहीं करेगा.
१३२. कतिपय अपराधों के लिए दंड.
१३३. अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व.
१३४. अपराध का संज्ञान.

१३५. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा
१३६. कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगतता.
१३७. कंपनियों द्वारा अपराध.
१३८. अपराधों का प्रशमन.

अध्याय २०

संक्रमणकालीन उपबंध

१३९. विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन.
१४०. इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं.
१४१. जाब वर्क के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध.
१४२. प्रकीर्ण संक्रमणकालीन उपबंध.

अध्याय २१

प्रकीर्ण

१४३. जाब वर्क की प्रक्रिया.
१४४. कतिपय मामलों में दस्तावेजों के बारे में उपधारणा.
१४५. दस्तावेज के रूप में और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की माईक्रो फिल्म, प्रतिकृति प्रतियों की ग्राह्यता.
१४६. सामान्य पोर्टल.
१४७. निर्यात समझा जाना.
१४८. कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति.
१४९. माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग.
१५०. सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता.
१५१. सांख्यिकी संग्रहण की शक्ति.
१५२. सूचना के प्रकटन पर वर्जन.
१५३. किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना.
१५४. नमूनों को प्राप्त करने की शक्ति.
१५५. सबूत का भार.
१५६. व्यक्ति जिन्हें लोक सेवक समझा जाएगा.
१५७. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१५८. लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना.
१५९. कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन.
१६०. कतिपय आधारों पर निर्धारण कार्यवाहियां, आदि का अविधिमान्य न किया जाना.
१६१. अभिलेख पर प्रकट त्रुटि का परिशोधन.
१६२. सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन.
१६३. फीस उद्ग्रहण.
१६४. नियमों को बनाने की सरकार की शक्ति.
१६५. विनियम बनाने की शक्ति.
१६६. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना.
१६७. शक्तियों का प्रत्यायोजन.
१६८. अनुदेशों या निर्देशों को जारी करने की शक्ति.
१६९. कतिपय मामलों में नोटिस की तामील.
१७०. कर आदि का पूर्णांकन.
१७१. मुनाफाखोरी निरोध उपाय.
१७२. कठिनाइयों को दूर करना.
१७३. कतिपय अधिनियमों का संशोधन.
१७४. निरसन और व्यावृत्ति.
अनुसूची-१
अनुसूची-२
अनुसूची-३

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१७

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंत:राज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश के राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय १

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो मध्यप्रदेश सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करें:

परंतु, इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(१) "अनुयोज्य दावे" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ का ४) की धारा ३ में उसका है;

(२) "परिदान का पता" से माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता अभिप्रेत है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है;

(३) "अभिलेख का पता" से पाने वाले का वह पता अभिप्रेत है, जो प्रदायकर्ता के अभिलेखों में उपलब्ध है;

(४) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण नहीं है;

(५) "अभिकर्ता" से फेक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़तिया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;

(६) "सकल आवर्त" समान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के अखिल भारतीय आधार पर संगणित से सभी कराधेय पूर्तियों (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट प्राप्त प्रदायों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और अंतर्राज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है;

(७) ''कृषक'' से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब अभिप्रेत है, जो,—

(क) स्वयं के श्रम द्वारा; या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा; या

(ग) नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है;

(८) ''अपील प्राधिकारी'' से अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत धारा १०७ में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(९) ''अपील अधिकरण'' से धारा १०९ में निर्दिष्ट माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(१०) ''नियत दिन'' से वह दिन अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे;

(११) ''निर्धारण'' से इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्वत: निर्धारण, पुन: निर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण भी है;

(१२) ''सहयुक्त उद्यमों'' का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) की धारा ९२क में उसका है;

(१३) ''संपरीक्षा'' से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है;

(१४) ''प्राधिकृत बैंक'' से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है;

(१५) ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' से धारा ११६ के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि अभिप्रेत है;

(१६) ''बोर्ड'' से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ५४) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है;

(१७) ''कारबार'' में निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो;

(ख) उपखंड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार;

(ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो;

(घ) कारबार के प्रारंभ या उसकी बंदी के संबंध में पूंजी माल सहित माह और सेवाओं का प्रदाय या अर्जन;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या वैसी ही सुविधाओं या फायदों वाले किसी निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) कोई व्यवस्था;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदाय की गई सेवाएं;

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे क्लब में के बुक-मेकर की अनुज्ञप्ति; और

(झ) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं;

(१८) ''कारबार शीर्षका'' से किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे पृथक्-पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागम के अध्यधीन है, जो उन अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न हैं;

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएं, जिनसे संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त पद्धतियां; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां कहीं लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं हैं;

(१९) ''पूंजी माल'' से ऐसा माल अभिप्रेत है, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;

(२०) ''नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कराधेय क्षेत्र में जहां उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है;

(२१) ''केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम'' से संबंधित केन्द्रीय माल और सेवा कर, कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) अभिप्रेत है;

(२२) ''केन्द्रीय कर'' से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) की धारा ९ के अधीन उद्ग्रहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(२३) ''उपकर'' का वही अर्थ हो, जो माल सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १५) में उसका है;

(२४) ''चार्टर्ड अकाउंटेट'' से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, १९४९ (१९४९ का ३८) की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है;

(२५) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा ३ के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त;

(२६) ''बोर्ड में का आयुक्त'' से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) की धारा १६८ में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है;

(२७) ''सामान्य पोर्टल'' से धारा १४६ में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल अभिप्रेत है;

(२८) ''सामान्य कार्य दिवस'' से लगातार ऐसे दिन अभिप्रेत हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राजपत्रित अवकाश घोषित नहीं किया गया है;

(२९) ''कंपनी सचिव'' से कंपनी सचिव अधिनियम, १९८० (१९८० का ५६) की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है;

(३०) ''सक्षम प्राधिकारी'' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(३१) ''संयुक्त प्रदाय'' से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को किया गया कोई ऐसी प्रदाय अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय प्रदायों से मिलकर बना है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतित: बांधा गया है और प्रदाय किया गया है, जिनमें एक मूल प्रदाय है;

दृष्टांत : जहां माल का बीमा के साथ पैक और परिवहन किया जाता है, वहां माल का प्रदाय, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त प्रदाय होगा और माल का प्रदाय एक मुख्य प्रदाय होगा.

(३२) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में ''प्रतिफल'' के अंतर्गत निम्नलिखित भी है,—

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायकी सम्मिलित नहीं होगी;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, किसी कार्य या प्रवरित रहने का धनीय मूल्य, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी:

परंतु, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में दिए गए निक्षेप को ऐसे प्रदाय के लिए किए गए संदाय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करें;

(३३) ''माल का निरंतर प्रदाय'' से माल का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल पाइपलाईन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर प्रदायकर्ता, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी है;

(३४) ''सेवाओं का निरंतर प्रदाय'' से सेवाओं का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी है;

(३५) ''प्रवहण'' के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है;

(३६) ''लागत लेखापाल'' से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, १९५९ (१९५९ का २३) की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है;

(३७) ''परिषद्'' से संविधान के अनुच्छेद २७९क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है;

(३८) ''जमापत्र'' से धारा ३४ की उपधारा (१) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(३९) ''नामे नोट'' से धारा ३४ की उपधारा (३) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(४०) ''समझा गया निर्यात'' से माल का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जिसे धारा १४७ के अधीन अधिसूचित किया जाए;

(४१) ''अभिहित प्राधिकारी'' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(४२) ''दस्तावेज'' के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० (२००० का २१) की धारा २ के खंड (न) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रानिक अभिलेख भी है;

(४३) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में ''चुंगी वापसी'' से ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित इनपुट पर या किसी घरेलू इनपुट या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट अभिप्रेत है;

(४४) ''इलेक्ट्रानिक नकद खाते'' से धारा ४९ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक नकद खाता अभिप्रेत है;

(४५) ''इलेक्ट्रानिक वाणिज्य'' से माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत डिजिटल या इलेक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पाद भी हैं.

(४६) ''इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो;

(४७) ''इलेक्ट्रानिक जमा खाते'' से धारा ४९ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक जमा खाता अभिप्रेत है;

(४८) ''छूट प्राप्त प्रदाय'' से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) की धारा ६ के अधीन कर की दर शून्य हो या जिसे धारा ११ के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय भी है;

(४९) ''विद्यमान विधि'' से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली विधानमंडल या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है;

(५०) ''कुटुंब'' से अभिप्रेत है,—

(एक) व्यक्ति का पति या पत्नी और बालक; और

(दो) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित है;

(५१) ''नियत स्थापन'' से (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं का प्रदाय करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के निबंधनानुसार स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त डिग्री द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है;

(५२) ''निधि'' से धारा ५७ के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(५३) ''माल'' से मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भाग रूप ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसका प्रदाय के पूर्व या प्रदाय की संविदा के अधीन पृथक् किए जाने का करार किया गया है;

(५४) ''सरकार'' से राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(५५) ''माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १५)'' से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १५) अभिप्रेत है;

(५६) ''माल और सेवा कर व्यवसायी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा ४८ के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है;

(५७) ''भारत से संविधान के अनुच्छेद १ में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्य क्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्न आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ८०) में यथानिर्दिष्ट ऐसे सागर-खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे का समुद्र तल और अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(५८) ''एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम'' से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) अभिप्रेत है;

(५९) ''एकीकृत कर'' से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) के अधीन उद्गृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(६०) ''इनपुट'' से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है;

(६१) ''इनपुट सेवा'' से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(६२) ''इनपुट सेवा वितरक'' से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा ३१ के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;

(६३) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" से माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर प्रभारित केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर;

(ख) धारा ९ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) की धारा ५ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(घ) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) की धारा ९ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

किन्तु इसमें उद्ग्रहण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है;

(६४) "इनपुट कर प्रत्यय" से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है;

(६५) "माल का अंत:राज्यिक प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) की धारा ८ में उसका है;

(६६) "सेवाओं का अंत:राज्यिक प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) की धारा ८ में उसका है;

(६७) "बीजक" या "कर बीजक" से धारा ३१ में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है;

(६८) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक प्रदाय" से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है;

(६९) "जाब वर्क" से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है और जाब वर्क करने वाले व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(७०) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्न अभिप्रेत है,—

(क) संविधान के अनुच्छेद २४३ के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत;

(ख) संविधान के अनुच्छेद २४३त के खंड (ङ) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का विधिक हकदार है या जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है;

(घ) छावनी अधिनियम, २००६ (२००६ का ४१) की धारा ३ में यथापरिभाषित छावनी बोर्ड;

(ङ) संविधान की छठवी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद्;

(च) संविधान के अनुच्छेद ३७१ के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद ३७१क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद्;

(७१) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान" से,—

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां प्रदाय की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(७२) "सेवाओं के प्रदायकर्ता का अवस्थान" से,—

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों से किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्रदायकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(७३) "विनिर्माण" से कच्ची सामग्री या इनपुट का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का अविर्भाव होता है और "विनिर्माता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(७४) "बाजार मूल्य" से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होगी, जिसकी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और प्रदायकर्ता संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है;

(७५) "मिश्रित प्रदाय" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्-पृथक् प्रदाय अभिप्रेत हैं, जहां ऐसे प्रदाय से कोई संयुक्त प्रदाय गठित नहीं होता है.

दृष्टांत : डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज का प्रदाय, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह प्रदाय मिश्रित प्रदाय होगा. इन मदों में से प्रत्येक मद का अलग-अलग भी प्रदाय किया जा सकता है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा. यदि इन मदों का अलग-अलग प्रदाय किया जाता है तो वह मिश्रित प्रदाय नहीं होगा;

(७६) ''धन'' से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चैक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, मुजरा पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर, डाक या इलेक्ट्रानिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लिखित अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारती विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किन्तु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विषयक मूल्य है;

(७७) ''मोटर यान'' का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा २ के खण्ड (२८) में उसका है;

(७८) ''अनिवासी कराधेय व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदा कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिसमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है, किन्तु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है;

(७९) ''गैर-कराधेय प्रदाय'' से माल या सेवाओं या दोनों का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १३) के अधीन कर से उद्‌गृहीत नहीं है;

(८०) ''गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र'' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है;

(८१) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' और ''अधिसूचित'' पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(८२) ''अन्य राज्यक्षेत्र'' में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खण्ड (११४) के उपखण्ड (क) से उपखण्ड (ङ) में निर्दिष्ट हैं;

(८३) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में ''आउटपुट कर'' से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किन्तु इसमें विपरीत प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को अपवर्जित किया गया है;

(८४) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में ''जावक प्रदाय'' से किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से किया गया प्रदाय अभिप्रेत है;

(८५) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) कोई व्यष्टि;

(ख) कोई हिंदू, अविभक्त कुटुंब;

(ग) कोई कंपनी;

(घ) कोई फर्म;

(ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो;

(छ) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा २ के खण्ड (४५) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी;

(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निकाय;

(झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी;

(ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(ट) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार;

(ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (१८६० का २१) के अधीन यथापरिभाषित सोसाइटी;

(ड) न्यास; और

(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है;

(८६) "कारबार के स्थान" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) वह स्थान, जहां से मामूली तौर से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भण्डारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है या प्राप्त करता है; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है;

(८७) "प्रदाय का स्थान" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १३) के अध्याय ५ में यथानिर्दिष्ट प्रदाय का स्थान अभिप्रेत है;

(८८) "विहित" से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(८९) "प्रधान" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है;

(९०) "कारबार का मुख्य स्थान" से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है;

(९१) "मुख्य प्रदाय" से ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय अभिप्रेत है, जिससे किसी संयुक्त प्रदाय के प्रधान कारक का गठन होता है और जिसके लिए उस संयुक्त प्रदाय की भागरूप कोई अन्य प्रदाय आनुषंगिक है;

(९२) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "समुचित अधिकारी" से राज्य कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है;

(९३) ''तिमाही'' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास समाविष्ट हों;

(९४) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ''प्राप्तिकर्ता'' से,—

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिये कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है;

(ख) जहां माल के प्रदाय के लिये कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल प्रदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिये दिया गया है या उपलब्ध कराया गया हैं;

(ग) जहां किसी सेवा के प्रदाय के लिये प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती हैं,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे प्रदाय किया गया है, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा;

(९५) ''रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किन्तु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

(९६) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(९७) माल के संबंध में ''हटाये जाने'' से,—

(क) उसके प्रदायकर्ता द्वारा या ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिये माल का प्रेषण अभिप्रेत है; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है;

(९८) ''विवरणी'' से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिये अपेक्षित विहित या उससे अन्यथा कोई विवरणी अभिप्रेत है;

(९९) ''विपरीत प्रभार'' से धारा ९ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) की धारा ५ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता के बजाए माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व अभिप्रेत है;

(१००) ''पुनरीक्षण प्राधिकारी'' से धारा १०८ में यथानिर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिये नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(१०१) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(१०२) ''प्रतिभूति'' का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४२) की धारा २ के खण्ड (ज) में उसका है;

(१०३) "सेवाओं" से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिये पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, सम्मिलित से संबंधित क्रियाकलाप हैं;

(१०४) "राज्य" से मध्यप्रदेश अभिप्रेत है;

(१०५) "राज्य कर" से इस अधिनियम के अधीन उदगृहीत कर अभिप्रेत है;

(१०६) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "प्रदायकर्ता" से उक्त माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा;

(१०७) "कर अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है;

(१०८) "कराधेय व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा २२ या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है;

(१०९) "कराधेय प्रदाय" से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय है;

(११०) "कराधेय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं;

(१११) "दूर-संचार सेवा" से किसी प्रकार की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, आडियो टैक्स सर्विस, वीडियो टैक्स सर्विस, रेडियो पेजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी हैं) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है;

(११२) "राज्य में के आवर्त" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य के भीतर किए गए (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है) सभी कराधेय प्रदायों और छूट प्राप्त प्रदायों, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और राज्य से किया गया माल या सेवाओं या दोनों का अंतरराज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किन्तु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं;

(११३) "प्रायिक निवास स्थान" से,—

(क) किसी व्यक्ति की दशा में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां व्यष्टि निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है;

(११४) "संघ राज्यक्षेत्र" से,—

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप;

(ख) लक्षद्वीप;

(ग) दादरा और नागर हवेली;

(घ) दमन और दीव;

(ङ) चंडीगढ़; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, उपखण्ड (क) से उपखण्ड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा;

(११५) "संघ राज्यक्षेत्र कर" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १४)के अधीन उदगृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(११६) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम,२०१७ (२०१७ का क्र. १४)" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम,२०१७ (२०१७ का क्र. १४) अभिप्रेत है;

(११७) "विधिमान्य विवरणी" से धारा ३९ की उपधारा (१) के अधीन दी गई कोई ऐसी विवरणी अभिप्रेत है, जिस पर स्वत: निर्धारण कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है;

(११८) "वाऊचर" से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां प्रदाय किए जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी प्रदायकर्ताओं की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी हैं;

(११९) "कार्य संविदा" से जहां ऐसी संविदा के निष्पादन में माल के रूप में संपत्ति के अंतरण (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) अंतर्वलित है, किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा अभिप्रेत है;

(१२०) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम,२०१७ (२०१७ का क्र. १३), केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम,२०१७ (२०१७ का क्र. १२), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम,२०१७ (२०१७ का क्र. १४) तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम,२०१७ (२०१७ का क्र. १५) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं;

अध्याय २
प्रशासन

इस अधिनियम के अधीन अधिकारी.

३. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अर्थात् :—

(क) राज्य कर आयुक्त;

(ख) राज्य कर विशेष आयुक्त;

(ग) राज्य कर के अपर आयुक्त;

(घ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त;

(ङ) राज्य कर उपायुक्त;

(च) राज्य कर सहायक आयुक्त; और

(छ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे:

परंतु मध्यप्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम,२००२(२००२ का क्र. २०) के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा.

अधिकारियों की नियुक्ति.

४. (१)सरकार, धारा ३ के अधीन यथाअधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे.

(२) आयुक्त की अधिकारिता संपूर्ण राज्य पर होगी, किसी विशेष आयुक्त और किसी अपर आयुक्त के पास, उसे समनुदेशित सभी या किसी कृत्य के संबंध में संपूर्ण राज्य या जहां कहीं राज्य सरकार इस प्रकार निदेश दे, उसके किसी स्थानीय क्षेत्र पर की अधिकारिता होगी तथा सभी अन्य अधिकारियों के पास, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, संपूर्ण राज्य या ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर की अधिकारिता होगी, जैसा कि आयुक्त द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए.

अधिकारियों की शक्तियां.

५. (१) राज्य कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा.

(२) राज्य कर अधिकारी, किसी अन्य ऐसे राज्य कर अधिकारी को जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा.

(३) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा.

(४) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा.

कतिपय परिस्थितियों में केन्द्रीय कर अधिकारियों को समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकारी.

६. (१) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,

(क) जहां कोई समुचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश जारी करता है, वहां वह केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम,२०१७(२०१७ का क्र. १२) के अधीन, केन्द्रीय कर की अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप में भी आदेश दे सकेगा;

(ख) जहां केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन कोई समुचित अधिकारी किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ करता है, वहां समुचित अधिकारी द्वारा उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं करेगा.

(३) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-जहां लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम,२०१७(२०१७ का क्र. १२) के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी.

अध्याय ३
कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

प्रदाय की परिधि.

७. (१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''प्रदाय'' पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों प्रदाय के सभी प्ररूप;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची १ में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप; और

(घ) अनुसूची २ में यथाविनिर्दिष्ट माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माने गए क्रिया कलाप.

(२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

(ख) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिनमें वे ऐसे लोक प्राधिकारियों, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में लगे हुए हैं,

न तो माल के प्रदाय के रूप में और न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाएगा.

(३) उपधारा (१) और उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,—

(क) माल के प्रदाय के रूप में, न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में, न कि माल के प्रदाय के रूप में, माना जाएगा.

संयुक्त और मिश्रित प्रदायों पर कर का दायित्व.

८. किसी संयुक्त या मिश्रित प्रदाय पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए किसी संयुक्त प्रदाय को, जिसमें से एक मुख्य प्रदाय है, ऐसे मुख्य प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा; और

(ख) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए मिश्रित प्रदाय को उस विशिष्ट प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है.

उद्ग्रहण और संग्रहण.

९. (१) उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के प्रदाय के छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अंत:राज्यिक प्रदायों पर, धारा १५ के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, राज्य माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा.

(२) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पैट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रदाय पर राज्य कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए.

(३) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है.

(४) किसी ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है.

(५) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंत:राज्यिक प्रदायों पर कर, यदि सेवाओं का प्रदाय इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किया जाता है तो, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा पूर्तिकार है जो ऐसी सेवाओं के पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है :

परंतु यदि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिये ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा:

परंतु यह और कि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिये कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा.

प्रशमन उद्ग्रहण.

१०. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा ९ की उपधारा (३) और उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्वीवर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किन्तु जो,—

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) अनुसूची २ के पैरा ६ के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त के ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रुपए की उक्त सीमा को एक करोड़ रुपए से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए.

(२) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,—

(क) वह अनुसूची २ के पैरा ६ के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;

(ख) वह ऐसे किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ग) वह माल के किसी अंतरराज्यिक जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है;

(घ) वह किसी ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा ५२ के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा है;

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय-कर अधिनियम, १९६१) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (१) के अधीन तब तक स्कीम के लिये विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस धारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं.

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा.

(४) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको उपधारा (१) के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा.

(५) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा ७३ या धारा ७४ के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिये लागू होंगे.

कर से छूट देने की शक्ति.

११.(१) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सधारणतया, पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी.

(२) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी.

(३) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (२) के अधीन जारी आदेश की परिधि या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (२) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंत:स्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानों वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था.

(४) केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन जारी किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना या यथास्थिति, आदेश समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा.

अध्याय ४
प्रदाय का समय और मूल्य

माल के प्रदाय का समय.

१२. (१) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उद्भूत होगा.

(२) माल के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) धारा ३१ की उपधारा (१) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे प्रदाय की बावत् बीजक जारी करने की अपेक्षा है; या

(ख) वह तारीख, जिसको प्रदायकर्ता प्रदाय की बाबत् संदाय प्राप्त करता है:

परंतु जहां कराधेय माल का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा.

स्पष्टीकरण १—खण्ड (क) और खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये, "प्रदाय" को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है.

स्पष्टीकरण २—खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये, ऐसी तारीख, जिसको प्रदायकर्ता संदाय प्राप्त करता है, वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो.

(३) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिसके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) माल प्राप्ति की तारीख; या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ग) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख:

परंतु जहां खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तिकों में प्रविष्टि की तारीख होगी.

(४) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,—

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिन्दु पर पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा.

(५) जहां उपधारा (२) या उपधारा (३) या उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय,—

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर संदत्त किया जाता है.

(६) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिये ब्याज, विलंब फीस या शस्ति को प्रदाय के मूल्य में जोड़े जाने का है, प्रदाय का समय वह तारीख होगा. जिसको प्रदायकर्ता मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है.

सेवाओं के प्रदाय का समय.

१३.(१) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उद्भूत होगा.

(२) सेवाओं के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा ३१ की उपधारा (२) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा ३१ की उपधारा (२) के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ग) वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा-पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है, उस मामले में, जहां खण्ड (क) या खण्ड (ख) में के उपबंध लागू नहीं होते हैं;

परंतु जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी करने की तारीख होगा.

स्पष्टीकरण.—खण्ड (क) और खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) प्रदाय को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है;

(दो) "संदाय प्राप्त करने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि प्रदायकर्ता की लेखा-पुस्तकों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो.

(३) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिसके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख:

परंतु जहां खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी:

परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदाय की दशा में, जहां सेवा का प्रदायकर्ता भारत से बाहर स्थित है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा.

(४) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,—

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिन्दु पर पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा.

(५) जहां उपधारा (२) या उपधारा (३) या उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय,—

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है.

(६) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिये ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को प्रदाय के मूल्य में जोड़े जाने का है, प्रदाय का समय वह तारीख होगा, जिसको प्रदायकर्ता मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है.

माल या सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर की दर में परिवर्तन.

१४. धारा १२ या धारा १३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहां प्रदाय के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया गया है, उस दशा में,—

(एक) जहां उसके लिये बीजक जारी किया गया है और संदाय भी कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा;

(दो) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किन्तु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा; या

(तीन) जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किन्तु उसके लिये बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा;

(ख) कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किए जाने की दशा में,—

(एक) जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किन्तु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी कर दिया गया है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा;

(दो) जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा; या

(तीन) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया गया है, किन्तु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगा :

परंतु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में जमा करने की तारीख होगी यदि बैंक खाते में ऐसी जमा कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "संदाय के प्राप्त होने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको प्रदायकर्ता की लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो.

कराधेय प्रदाय का मूल्य.

१५. (१) जहां प्रदायकर्ता या प्रदाय का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और प्रदाय के लिये एक मात्र प्रतिफल कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों के उक्त प्रदाय के लिये वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है.

(२) प्रदाय के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १५) से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्गृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि प्रदायकर्ता द्वारा पृथक् रूप में प्रभारित किया गया है;

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसका प्रदायकर्ता, ऐसे प्रदाय के संबंध में संदाय करने के लिये दायी है, किन्तु जो प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिये वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ग) किसी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से प्रदायकर्ता द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैक करना भी है, माल के परिदान या सेवाओं के प्रदाय के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्रदायकर्ता द्वारा की गई किसी बात के लिये प्रभारित कोई रकम;

(घ) किसी प्रदाय के लिये किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिये ब्याज या विलंब फीस या शास्ति; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षत: जुड़ी हुई सहायिकियां.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, सहायिकी की रकम को ऐसे प्रदायकर्ता के, जो सहायिकी प्राप्त करता है, प्रदाय के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा.

(३) प्रदाय के मूल्य में किसी को ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो,—

(क) प्रदाय के पूर्व या प्रदाय के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसे प्रदाय के संबंध में जारी बीजक में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है; और

(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि,—

(एक) ऐसी छूट, ऐसे प्रदाय के समय या उसके पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है; और

(दो) इनपुट कर प्रत्यय, जिसे प्रदायकर्ता द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट माना गया है, जिसे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है.

(४) जहां उपधारा (१) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए.

(५) उपधारा (१) या उपधारा (४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रदायों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए.

स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ऐसे व्यक्तियों को "संबंधित व्यक्ति" समझा जाएगा, यदि,—

(एक) ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के कारबार के अधिकारी या निदेशक हैं;

(दो) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यताप्राप्त भागीदार है;

(तीन) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं;

(चार) कोई व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पच्चीस प्रतिशत या अधिक के परादेय मतदान स्टाक या शेयरों या उन दोनों पर स्वामित्व, नियंत्रण है या धारण करता है;

(पांच) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है;

(छह) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित है;

(सात) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं ; या

(आठ) वे एक ही कुटंब के सदस्य हैं;

(ख) "व्यक्ति" पद के अन्तर्गत विधिक व्यक्ति भी है;

(ग) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति के कारबार से सहबद्ध है, जिसमें वह किसी अन्य का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, है, संबद्ध व्यक्ति समझा जाएगा.

अध्याय ५

इनपुट कर प्रत्यय

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्त.

१६. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, और धारा ४९ में विनिर्दिष्ट रीति से उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी.

(२) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,—

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो;

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है.

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां प्रदायकर्ता द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है;

(ग) धारा ४१ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए; और

(घ) वह धारा ३९ के अधीन विवरणी न दे दे :

परन्तु जहां माल, बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा.

१९६१ का ४३ (३) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(४) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा.

प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन.

१७. (१) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः किसी कारबार के प्रयोजन के लिये किया जाता है और भागतः अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा.

(२) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) के अधीन शून्य दर प्रदायों सहित कराधेय प्रदायों को पूर्ण करने के लिए और भागतः उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त प्रदायों को पूर्ण करने के लिये किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर प्रदायों सहित उक्त कराधेय प्रदायों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन छूट प्राप्त कर प्रदाय का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहरों, भूमि विक्रय और अनुसूची २ के पैरा ५ के खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा.

(४) किसी बैंककारी कंपनी या किसी ऐसी वित्तीय कंपनी को, जिसके अन्तर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं का प्रदाय करने में लगी हुई है, उपधारा (२) के उपबंधों का पालन करने का या उस मास के प्रत्ययों, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जाएगा:

परन्तु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत, व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए प्रदायों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा.

(५) धारा १६ की उपधारा (१) और धारा १८ की उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:—

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग,—

(एक) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:—

(अ) ऐसे यानों या प्रवहणों के अग्रतर प्रदाय के लिए ; या
(आ) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या
(इ) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए ;

(दो) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय के लिए:—

(एक) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के कारक के रूप में किया जाता है;

(दो) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता ;

(तीन) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय जहां,—

(अ) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है ; या

(आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक प्रदाय का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का, जावक कराधेय प्रदाय करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के भागरूप किया जाता है; और

(चार) अवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे. जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत

(ग) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनका प्रदाय स्थावर संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के और प्रदाय के लिए कोई आवक सेवा है;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के उपयोग के लिए (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अन्तर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिये किया जाता है.

स्पष्टीकरण.—खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अन्तर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है;

(ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धार १० के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है;

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या नि:शुल्क सैंपल द्वारा अपलिखित या व्ययनित माल;

(झ) धारा ७४, धारा १२९ और धारा १३० के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर.

(६) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसमें उपधारा (१) और उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण—इस अध्याय और अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए, "संयंत्र और मशीनरी" पद से ऐसे साधित्र, उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत है, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों का जावक प्रदाय करने के लिए किया जाता है और इसके अन्तर्गत प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब भी हैं, किन्तु इसमें निम्नलिखित अपवर्जित हैं,—

(एक) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल सन्निर्माण ;

(दो) दूर-संचार टावर; और

(तीन) कारखाना परिसर के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें.

विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता.

१८. (१) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं,—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने के लिये दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्धपरिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा;

(ख) कोई व्यक्ति, जो धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन रजिस्ट्रेशन लेता है, स्टाक में धारित इनपुट और रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा;

(ग) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा १० के अधीन कर संदाय रोका गया है, उस तारीख से जिससे वह धारा ९ के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को वहां वह स्टाक में धारित निवेशों, स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा:

परन्तु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिन्दु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ;

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का छूट प्राप्त प्रदाय कराधेय प्रदाय हो गया है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे छूट प्राप्त प्रदाय संबंधित स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में और उस तारीख से, जिसको ऐसा प्रदाय कराधेय हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसे छूट प्राप्त प्रदाय के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता के बिन्दु तक कम कर दिया जाएगा जो विहित किया जाए.

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रदाय से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में उपधारा (१) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.

(३) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्व अंतरण विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात होगा, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिए गए या अंतरित कारबार के उसके इलेक्ट्रानिक निवेश खाते में अनुपयोजित है.

(४) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने धारा १० के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है या जहां उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो गए हैं,

वहां वह इलेक्ट्रानिक जमा खाते या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में और पूंजी माल पर, यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, ऐसी प्रतिशतता बिन्दु को, जो विहित किया जाए, कम करके इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है :

परन्तु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा.

(५) उपधारा (१) के अधीन प्रत्यय की रकम और उपधारा (४) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए.

(६) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिशतता बिन्दु को घटाकर, जो विहित किया जाए, उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का या धारा १५ के अधीन ऐसे पूंजी माल का संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परन्तु जहां स्क्रैप के रूप में रिफैक्टरी ईंटें, सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों का प्रदाय किया जाता है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा १५ के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा.

जॉब वर्क काम के लिए किए गए इनपुट और भेजे गए पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना.

१९. (१) प्रधान, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं जॉब वर्क के लिए किसी जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति को भेजे गए इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा.

(२) धारा १६ की उपधारा (२) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान इनपुट को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना जॉब वर्क के लिए किसी जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी इनपुट पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा.

(३) जहां प्रधान को, जॉब वर्क के लिए भेजे गए इनपुट भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, धारा १४३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) या खंड (ख) के अनुसार जॉब वर्क पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होता है या जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति के कारबार के स्थान से उसका प्रदाय नहीं किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा जॉब वर्क के लिए ऐसे निवेशों का प्रदाय उस दिन किया गया था, जब उक्त इनपुट भेजे गए थे:

परन्तु जहां किसी जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति को सीधे इनपुट भेजे जाते हैं, वहां जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति द्वारा इनपुट के प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी.

(४) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, जॉब वर्क के लिए किसी जॉब वर्क कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा.

(५) धारा १६ की उपधारा (२) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना जॉब वर्क के लिये किसी जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा.

(६) जहां प्रधान को जॉब वर्क के लिए भेजा गया पूंजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जायेगा कि प्रधान द्वारा जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति को ऐसे पूंजी माल का प्रदाय उस दिन किया गया था जब उक्त पूंजी माल भेजा गया था :

परन्तु जहां किसी जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी.

(७) उपधारा (३) या उपधारा (६) में अंतर्विष्ट कोई बात जॉब वर्क करने के लिए किसी जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति को भेजे गए सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों और औजारों को लागू नहीं होगी.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रधान" से धारा १४३ में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है.

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.

२०. (१) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा.

(२) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात:—

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है ;

(ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा ;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है, जो कि वर्तमान वर्ष में परिचालित है उनका सकल आवर्त, आवर्त का अनुपातत: होगा :

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिये मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपातत: होगा :

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सुसंगत अवधि",—

(एक) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी :

(दो) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है ;

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से उस इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता अभिप्रेत है ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल के, जो कराधेय नहीं है, प्रदाय में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची १ की प्रविष्टि ८४ और उक्त अनुसूची की सूची २ की प्रविष्टि ५१ और प्रविष्टि ५४ के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है.

आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति.

२१. (१) जहां इनपुट सेवा वितरक, धारा २० में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा ७३ या धारा ७४ के उपबंध वसूल किये जाने वाली रकम के अवधारण के लिए *यथा आवश्यक परिवर्तन सहित* लागू होंगे.

अध्याय ६
रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति.

२२. (१) किसी राज्य में मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय को करने वाला प्रत्येक प्रदाता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रुपए से अधिक है :

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रुपये से अधिक है.

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारण करता अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिन से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा.

(३) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया गया कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के लेखे अंतरित किया जाता है, अंतरिति या उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा.

(४) उपधारा (१) और (३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जैसा भी मामला हो, स्कीम की मंजूरी या समामेलन के लिए ठहराव या अंतरण की दशा में उच्च न्यायालय, अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कंपनियों के निर्विलयन के मामले, अंतरिती ऐसी तारीख से जिससे उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाण-पत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये दायी होगा.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(एक) अभिव्यक्ति सकल आवर्त में, कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई सभी पूर्ति, चाहे उसके अपने लेखे के रूप में या उसके सभी मालिकों की ओर से सम्मिलित है;

(दो) रजिस्ट्रीकृत जॉब वर्कर द्वारा जॉब वर्क पूर्ण करने पश्चात् मालों की आपूर्ति, धारा १४३ के निर्दिष्ट प्रधान द्वारा मालों की आपूर्ति मानी जाएगी और ऐसे मालों में रजिस्ट्रीकत जॉब वर्क का संकलित व्यापारवर्त सम्मिलित नहीं होगा;

(तीन) अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" से संविधान के अनुच्छेद २७९क के खंड (४) के उपखंड (छह) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है.

व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है.

२३. (१) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात्:—

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है;

(ख) कृषक, भूमि के खेती की उपज की पूर्ति के विस्तार तक.

(२) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है.

कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण.

२४. धारा २२ की उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,—

(एक) व्यक्ति जो अंतरराज्यिक कराधेय पूर्ति करते हैं;

(दो) कराधेय पूर्ति करने वाले आकस्मिक कराधेय व्यक्ति;

(तीन) व्यक्ति जिससे प्रतिलोम प्रभार के अधीन कर अदा करना अपेक्षित है;

(चार) व्यक्ति जिससे धारा ९ की उपधारा (५) के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है;

(पांच) कराधेय पूर्ति करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति;

(छह) व्यक्ति जिससे धारा ५१ के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं;

(सात) व्यक्ति जो चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की ओर से कराधेय मालों या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति करते हैं;

(आठ) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं;

(नौ) व्यक्ति जो धारा ९ की उपधारा (५) के अधीन विनिर्दिष्ट पूर्ति से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों की ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर जिससे धारा ५२ के अधीन स्त्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है, के माध्यम से पूर्ति करता है;

(दस) प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर;

(ग्यारह) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवाओं भारत में किसी व्यक्ति की पूर्ति करता है;

(बारह) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए.

रजिस्ट्रकरण के लिए प्रक्रिया.

२५. (१) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा २२ या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस तारीख, जिसको यह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा.

स्पष्टीकरण—प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड से प्रदाय करता है, ऐसे राज्य, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, ऐसे राज्य में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा.

(२) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है को एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा:

परंतु एक राज्य में बहुल कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाए, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा.

(३) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा २२ या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है वह स्वयं का स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध जैसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे.

(४) एक व्यक्ति जिसमें एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण ऐसे चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है रजिस्ट्रकरण प्रत्येक की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा.

(५) जहां एक व्यक्ति जिसने एक स्थापन की बाबत राज्य या संदाय राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापन है, तब ऐसे स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में माना जाएगा.

१९६१ का ४३

(६) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र होने के लिए आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखेगा:

परंतु व्यक्ति जिससे धारा ५१ के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्या के बजाय, रस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या रख सकेगा:

(७) उपधारा (६) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक अनिवासी कराधेय व्यक्ति को ऐसे अन्य दस्तावेजों जो विहित किए जाए के आधार पर उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है.

(८) जहां एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में विफल हो जाता है, उचित अधिकारी कोई कार्रवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्टर करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा.

(९) उपधारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी— १९४७ का ४६

(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, अधिनियम, १९४७ (१९४७ का ४६) के अधीन अधिसूचित बहुपार्श्व वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशी देशों के कौंसल-कार्यालय या राजदूतावास; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त मालों का सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित पूर्ति, करों का प्रतिदाय, जैसा कि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा.

(१०) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या ऐसी रीति में सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा या खारिज किया जाएगा.

(११) रजिस्ट्रकरण का प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसी तारीख से लागू होगा, जो विहित किया जाए.

(१२) एक रजिस्ट्रकरण या एक विशिष्ट पहचान संख्या उपधारा १० के अधीन विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रदान किया गया समझा जाएगा, यदि आवेदक को उस अवधि के भीतर कमी संसूचित नहीं की जाती है.

रजिस्ट्रीकरण समझा जाना.

२६. (१) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन धारा २५ की उपधारा (१०) में यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना समझा जाएगा.

(२) धारा २५ की उपधारा (१०) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया जाना समझा जाएगा.

1

आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध.

२७. (१) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रीकरण,प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् कराधेय पूर्ति करेगा:

परंतु उचित अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए, उक्त नब्बे दिन की अवधि को नब्बे दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा.

(२) (एक) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति धारा २५ की उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अग्रिम निक्षेप करेगा:

परंतु जहां उपधारा (१) के अधीन समय का कोई विस्तार चाहा गया है, ऐसा काराधेय व्यक्ति, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम निक्षेप करेंगे.

(३) उपधारा (२) के अधीन निक्षेप की गई रकम, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक नकद खाते में जमा की जाएगी और धारा ४९ के अधीन उपबंधित रीति में उपयोग किया जाएगा.

रजिस्ट्रीकरण का संशोधन.

२८ (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित की गई है रजिस्ट्रेशन के समय या तत्पश्चात् ऐसे प्ररुप रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दी गई सूचना में किसी परिवर्तन को उचित अधिकारी को सूचित करेगा.

(२) उचित अधिकारी, उपधारा (१) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गई सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टयों में ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए संशोधनों का अनुमोदन करेगा या खारिज करेगा:

परंतु ऐसी विशिष्टयों जो विहित की जाएं, के संशोधन की बाबत समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा:

परंतु यह और कि उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा.

(३) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन संशोधनों का खारिज किया जाना या अनुमोदन, इस अधिनियम के अधीन खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा.

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.

२९. (१) समुचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,—

(क) कारबार किन्हीं कारणों जिसके अंतर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु किसी अन्य विधिक सत्ता के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा निपटान भी है, बंद कर दिया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया है;

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति, धारा २२ या धारा २४ के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होगा.

(२) समुचित अधिकारी, ऐसी तारीख जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी तारीख से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जैसा विहित किया जाए, ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है; या

(ख) धारा १० के अधीन कर अदा करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन स्वैच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है; या

(ङ) रजिस्ट्रीकृत कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है:

परंतु समुचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा.

(३) ऐसी धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति के कर अदा करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्य शोध्य या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, रद्दकरण की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए, चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दकरण की तारीख से पहले या पश्चात् अवदारित किए जाते हैं, किसी बाध्यता के निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा.

(४) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा.

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो गया है, इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा जो रद्दकरण की ऐसी तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टाक में धारित इनपुट के संबंध में इनपुट कर और स्टाक में धारित अर्द्ध-तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट या पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए संगणित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर, जो भी अधिक हो, के प्रत्यय के समतुल्य है:

परंतु पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजीमाल.

या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किए जाए, से घटाकर आये या धार १५ के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर जो भी अधिक हो, संदत्त करेगा.

(६) उपधारा (५) के अधीन देय रकम ऐसी रीति जो विहित की जाए, से प्रकल्लित की जाएगी.

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण.

३०. (१) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा.

(२) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्धकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा.

(३) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन रजिट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा.

अध्याय ७
कर बीजक, जमा पत्र और नामे नोट

कर बीजक

३१. (१) कराधेय मालों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे समय पर या उससे से पहले,—

(क) प्राप्तिकर्ता की पूर्ति, जहां पूर्ति में मालों का संचलन अंतर्वलित है, के लिए माल को हटाएगा ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, मालों का परिदान करेगा या प्राप्तिकर्ता को उसको उपलब्ध कराएगा, वर्णन, परिमाप और मालों के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा ऐसे समय में और ऐसी रीति में जो विहित किया जाए, मालों या पूर्तियों के प्रवर्गों जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जाएगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी,

(२) कराधेय सेवाओं की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवाओं के उपबंध के पूर्व या पश्चात् परंतुक विहित अवधि के भीतर वर्णन, मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में—

(क) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा; या

(ख) कर बीजक जारी नहीं किया जा सके.

(३) उपधारा (१) और उपधारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से, उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

जारी करने की तारीख तक, प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरीक्षित बीजक जारी कर सकेगा;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों और ऐसी रीति जो विहित की जाए के अध्यधीन रहते हुए, मालों या सेवाओं या दोनों पूर्तियों का मूल्य दो सौ रुपये से कम है;

(ग) छूट प्राप्त मालों और सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला या धारा १० के उपबंधों के अधीन कर अदा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टिताएं अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक बिल जारी करेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रदाय का बिल जारी नहीं करेगा, यदि प्रदाय किया गया माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, दो सौ रुपये से कम है;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसे संदाय का साक्ष्य देते हुए ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट, जो विहित की जाए, कोई रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा;

(ङ) जहां, माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, परन्तु पश्चात्वर्ती कोई पूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसमें संदाय किया है, ऐसे संदाय के विरुद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा ;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ९ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐस प्रदाता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ९ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर संदत्त करने के लिये दायी है, पूर्तिकार संदाय वाउचर जारी करेगा.

(४) माल की निरंतर पूर्ति की दशा में जहां लेखाओं के क्रमवार विवरण या क्रमवार संदाय अंतर्वलित हैं, वहां बीजक प्रत्येक ऐसे विवरण के जारी करते समय या उससे पूर्व या, यथास्थिति, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, जारी किया जाएगा.

(५) उपधारा (३) के खंड (घ) के उपबंधों के अध्यधीन सेवाओं की निरंतर पूर्ति की दशा में,—

(क) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता लगाया जा सकता है, वहां बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा;

(ख) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां बीजक जब सेवाओं का प्रदायकर्ता संदाय प्राप्त करता है, के समय या उससे पूर्व जारी किया जाएगा;

(ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा.

(६) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन पूर्ति के पूरा होने से पूर्व सेवाओं की पूर्ति समाप्त हो जाती है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब पूर्ति समाप्त होती है और ऐसा बीजक ऐसी समाप्ति से पूर्व प्रभावित पूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा.

(७) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे जा रहा या लिया जा रहा माल पूर्ति किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक आपूर्ति के समय या उससे पूर्व अथवा हटाए जाने की तारीख से छह मास तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''कर बीजक'' पद के अन्तर्गत पहले की गई पूर्ति के संबंध में प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक होगा.

कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध.

३२. (१) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा.

(२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृ व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा.

कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित की जाने वाले कर की रकम.

३३. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई पूर्ति किसी प्रतिफल के लिए की जाती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी पूर्ति के लिए कर संदाय करने के लिये दायी है निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों में कर बीजक और अन्य ऐसे अन्य दस्तावेज, टैक्स की रकम जो उस मूल्य का भाग होगी जिस पर ऐसी पूर्ति की जाती है प्रमुखत: उपदर्शित करेगा.

जमा पत्र और नामे नोट.

३४. (१) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में प्रभावित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी पूर्ति के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्रदायकर्ता द्वारा पूर्ति के किए गए माल को वापिस किया जाता है या जहां पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की पूर्ति की है प्रदायकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं से अंतर्विष्ट जमापत्र जारी कर सकेगा.

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है. ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा जमा पत्र जारी किया गया है परन्तु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी पूर्ति की गई थी, के अंत के पश्चात् सितंबर मास से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा:

परन्तु यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है तो प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी.

(३) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर, कर योग्य मूल्य या ऐसी पूर्ति के संबंध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है प्राप्तकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट नामे पत्र जारी करेगा.

(४) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई नामेपत्र जारी करता है, ऐसे नामेपत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामेपत्र जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व ऐसी रीति में जो विहित की जाए में समायोजित करेगा.

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''नामे पत्र'' के पद अन्तर्गत पूरक बीजक हैं.

अध्याय ८

लेखे और अभिलेख

लेखे और अन्य अभिलेख.

३५. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कारबार के मूल स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र में यर्थावर्णित,—

(क) माल के उत्पादन और विनिर्माण;
(ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति;
(ग) माल का स्टाक ;
(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय;
(ङ) संदेय और संदत्त आउट पुट कर और ;
(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ;

की सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा :

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में एक से अधिक कारबार के स्थान विनिर्दिष्ट, किए गए हैं वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारबार के उन्हीं स्थानों में रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियां इलेक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रख सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा.

(२) भांडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाया गया किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या ऑपरेटर और प्रत्येक वाहक इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती और ऐसे माल के अन्य सुसगंत ब्यौरे जो विहित किए जाएं, के अभिलेख रखेगा.

(३) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं के अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा.

(४) जहां आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की दशा में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा.

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा ४४ की उपधारा (२) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए.

(६) धारा १७ की उपधारा (५) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (१) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और, यथास्थिति, धारा ७३ या धारा ७४ के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

लेखों के प्रतिधारण की अवधि.

३६. धारा ३५ की उपधारा (१) के अधीन लेखों-बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उनको ऐसे लेखों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से ७२ मास की समाप्ति तक प्रतिधारित करेगा :

परन्तु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही चाहे उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो,

में कोई पक्षकार है, या अध्याय १९ के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषयवस्तु से संबंधित लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा.

अध्याय ९

विवरणियां

३७. (१) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा १०, धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रानिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति में जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की की गई जावक पूर्तियों के ब्यौरे कर अवधि के दौरान उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती १०वें दिन से पूर्व या को देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे : **जावक पूर्तियों के ब्यौरे देना.**

परन्तु, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के ११वें दिन से १५वें दिन तक की अवधि के दौरान जावक पूर्तियों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु, यह और कि आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किएं जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिये समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु, यह और भी कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

(२) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा ३८ की उपधारा (३) के अधीन ब्यौरे या धारा ३८ की उपधारा (४) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक पूर्तियों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के १७वें दिन को या उसके पूर्व, किन्तु १५वें दिन से पूर्व न हो, इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परन्तु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के तथा उसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन दिए गए ब्यौरे तद्नुसार संशोधित होंगे.

(३) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (१) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा ४२ या धारा ४३ के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोक का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा:

परन्तु उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अन्त के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (१) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,"जावक पूर्तियों के ब्यौरे" पद के अन्तर्गत किसी कर-अवधि के दौरान की गई जावक पूर्तियों के संबंध में जारी बीजक, नामेपत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे सम्मिलित है.

३८. (१) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १०, धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाली किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपनी आवक पूर्तियों और जमा या नामेपत्रों के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन संसूचित जावक पूर्तियों और जमा या नामें पत्रों से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटएगा और उसमें ऐसी पूर्तियों, जो धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा घोषित नहीं की गई है, के संबंध में प्राप्त आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा. **आवक पूर्तियों के ब्यौरे देना.**

(२) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १०, धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाली किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप में कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों, जिसके अन्तर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियां, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर संदेय है तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियां या जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, १९७५ की धारा ३ के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर संदेय है तथा कर अवधि के दौरान १०वें दिन के पश्चात् परन्तु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के १५वें दिन से पूर्व या को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे देगा :

परन्तु आयुक्त, कारणों को लिखत में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:—

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

(३) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के और उपधारा (२) के अधीन दिए गए ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे.

(४) धारा ३९ की उपधारा (२) या उपधारा (४) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा दी गई विवरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे.

(५) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (२) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा ४२ या धारा ४३ के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा.

परन्तु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितम्बर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (२) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

विवरणियां देना.

३९, (१) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १० या धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियां, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य विशिष्टियां और ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन से पूर्व या को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, विवरणी देगा.

(२) धारा १० के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, राज्य के भीतर टर्न ओवर, कोई माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् १८ दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में संदत्त करेगा.

(३) धारा ५१ के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, की गई है, की विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप में देगा.

(४) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् १३ दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा.

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलैंडर मास के अन्त के पश्चात् २० दिन के भीतर या धारा २७ की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा.

(६) आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देने के लिए समय-सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा.

(७) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (१) या उपधारा (२) या उपधारा (५) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा.

(८) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है. प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई पूर्ति ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं.

(९) धारा ३७ और धारा ३८ के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (१) या उपधारा (२) या उपधारा (३) या उपधारा (४) या उपधारा (५) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितम्बर मास के लिये या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिये या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(१०) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है.

प्रथम विवरणी

४०. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बना, से उस तारीख तक जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया, के मध्य अवधि में जावक पूर्तियां की हैं रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा.

इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति.

४१ (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबंधनों जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन यथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में जमा लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसकी इलेक्ट्रानिक जमा बही में जमा की जाएगी.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व-निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा.

इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना.

४२ (१) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दिए गए प्रत्येक आवक पूर्ति के ब्यौरे.—

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक पूर्ति के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ :

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, १९७५ की धारा ३ के अधीन संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए, मिलान किया जाएगा.

(२) उस आवक पूर्ति, जो तत्स्थानी जावक पूर्ति के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, १९७५ की धारा ३ के अधीन आयायित माल के संबंध में संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, के संबंध में बीजकों या नामे पत्रों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी.

(३) जहां आवकपूर्ति के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी पूर्ति के लिये प्रदायकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक है या प्रदायकर्ता द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक पूर्ति घोषित नहीं की गई है, वहां अंतर दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए संसूचित किया जाएगा.

(४) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी.

(५) कोई रकम, जिसके संबंध में उपधारा (३) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में प्रदायकर्ता द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, को प्राप्तिकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोड़ा जाएगा, जो विहित की जाए.

(६) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के कारण आधिक्य पाई जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायत्वि में उस मास, जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जाएगा.

(७) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (५) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि प्रदायकर्ता धारा ३९ की उपधारा (९) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है.

(८) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा.

(९) जहां उपधारा (७) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (८) के अधीन संदत्त ब्याज का प्राप्तिकर्ता को उसकी इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा:

परन्तु किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की रकम प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी.

(१०) उपधारा (७) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा ५० की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदय करने का दायी होगा.

आउटपुट कर दायित्व का मिलान, प्रतिलोम और प्रतिदाय.

४३. (१) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिये बाहर के लिए आपूर्ति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक जमा पत्र के ब्यौरे का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किए जाए, निम्नलिखित के लिये मिलान किया जाएगा,—

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिये उसी करावधि या अन्य पश्चात्वर्ती करावधि के लिये उसकी विधिमान्य विवरणी में; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिये दावों की आवृत्ति के लिये.

(२) प्रदायकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिये दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान करता है, को अंतिमत: स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रदायकर्ता को दी जाएगी.

(३) जहां बाहर के लिये प्रदायों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी जमा पत्र की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए.

(४) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिये दावों की आवृत्ति की संसूचना प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए.

(५) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (३) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गई है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्वर्ती मास में, जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ा दिया जाएगा, जो विहित की जाए.

(६) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती संबंध रकम, जो दावों की आवर्ती के लेखे पाई जाती है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट का दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ऐसी आवर्ती संसूचित की जाती है.

(७) प्रदायकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (५) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता अपने प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा ३९ की उपधारा (९) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है.

(८) कोई प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा.

(९) जहां उपधारा (७) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहां उपधारा (८) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रदायकर्ता को उसकी इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम का प्रत्यय करके प्रतिदाय किया जाएगा:

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी.

(१०) उपधारा (७) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व में घटाई गई रकम को प्रदायकर्ता की उस मास की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्रदायकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम में धारा ५० की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा.

वार्षिक विवरणी.

४४.(१) इनपुट सेवा वितरक, धारा ५१ या धारा ५२ के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिये इलेक्ट्रोनिक रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के पश्चात् ३१ दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा.

(२) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा ३५ की उपधारा (५) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाए, के साथ इलेक्ट्रोनिक रूप में उपधारा (१) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा.

अंतिम विवरणी.

४५. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा ३९ की उपधारा (१) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा.

विवरणी व्यति क्रमियों को सूचना.

४६. जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा ३९, धारा ४४ या धारा ४५ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब वहां पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी.

विलंब फीस का उदग्रहण.

४७. (१) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ३७ या धारा ३८ के अधीन अपेक्षित बहिर्गामी या अंतर्गामी प्रदायों या धारा ३९ या धारा ४५ के अधीन के ब्यौरे सम्यक् तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके दौरान असफलता जारी रहती है. सौ रुपए विलंब फीस का संदाय करेगा.

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो सम्यक् तारीख तक धारा ४४ के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य में उसके कारबार के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रुपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा.

माल और सेवा कर व्यवसायी.

४८.(१) माल और सेवा कर व्यवसायी के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, हटाने की रीति तथा अन्य शर्तें, जो उनके कार्य करने के लिये सुसंगत हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं.

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा ३७ के अधीन बहिर्गामी प्रदायों के ब्यौरे धारा ३८ के अधीन अंतर्गामी प्रदायों के ब्यौरे और धारा ३९ या धारा ४४ या धारा ४५ के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा.

(३) उपधारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किए गए अन्य ब्यौरों से सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं.

अध्याय १०

कर संदाय

कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय.

४९.(१) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिकी निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसी निबंधनों के अधीन रहते हुये, जो विहित की जाए, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिये किया गया प्रत्येक जमा का ऐसे व्यक्ति की इलेक्ट्रानिक रोकड़ बही जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में प्रत्यय किया जाएगा.

(२) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वयं निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय बही, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में धारा ४१ के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा.

(३) इलेक्ट्रोनक रोकड़ बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा.

(४) इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिये ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा.

(५) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय बही में निम्नलिखित के लेखे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम.—

(क) एकीकृत कर का पहले उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिये किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(ख) केन्द्रीय कर का उपयोग पहले केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यदि कोई हो, एकीकृत कर लिये संदाय करने के लिये किया जाएगा;

(ग) राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यदि कोई हो, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिये किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिये किया जाएगा;

(ङ) केन्द्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा ; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा.

(६) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही या इलेक्ट्रोनिकी प्रत्यय बही में शेष का धारा ५४ के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा.

(७) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलेक्ट्रानिक उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संधारित किया जाएगा.

(८) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) स्वयं निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियां से संबंधित विवरणियों के शोध्य ;

(ख) स्वयं निर्धारित कर और अन्य चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य ;

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अन्तर्गत धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन अवधारित मांग भी है.

(९) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, से यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को पारित कर दिया है.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तारीख को इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में जमा करने की तारीख समझा जाएगा;

(ख) पद,—

(एक) ''कर शोध्य'' से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है ; और

(दो) ''अन्य शोध्य'' से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है.

विलंबित कर संदाय पर ब्याज.

५०. (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किन्तु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है. स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्वर्ती दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी.

(३) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा ४२ की उपधारा (१०) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा ४३ की उपधारा (१०) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या अधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कटौती पर सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा.

स्त्रोत पर कर कटौती

५१. (१) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार,—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को ; या
(ख) स्थानीय प्राधिकारी को ; या
(ग) सरकारी अभिकरणों को ; या
(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''कटौतीकर्ता'' कहा गया है, को प्रदायकर्ता (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''जिससे कटौती की गई है'' कहा गया है) को कराधेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किए गए संदाय या किए गए प्रत्यय से वहां, जहां ऐसा प्रदाय का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक है, के एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी :

परन्तु कोई कटौती तब नहीं की जाएगी यदि आपूर्ति का स्थान और किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रदायकर्ता का स्थान, जो कि यथास्थिति, प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है.

स्पष्टीकरण—पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए आपूर्ति के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को अपवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के अंत से दस दिन के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा.

(३) कटौती करने वाला, जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा.

(४) यदि कोई कटौतीकर्ता जिसकी कटौती की जा रही है, को स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार के लिए इस प्रकार कटौती की गई रकम का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा.

(५) जिसकी कटौती की जा रही है वह अपने इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में कटौती किए गए और धारा ३९ की उपधारा (३) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा करेगा.

(६) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (१) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की रकम के अतिरिक्त धारा ५० की उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा.

(७) इस धारा के अधीन व्यक्तिक्रम की रकम का अवधारण धारा ७३ या धारा ७४ में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा.

(८) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के मद्दे उदभूत कटौती के कटौतीकर्ता या जिसकी कटौती की जा ही है, को प्रतिदाय से धारा ५४ के उपबंधों के अनुसरण में व्यौहार किया जाएगा :

परन्तु कटौतीकर्ता को किसी प्रतिदाय को अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि कटौती की गई रकम का, जिसकी कटौती की जा रही है, की इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में प्रत्यय कर दिया गया है.

स्रोत पर कर का संग्रहण.

५२. (१) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''प्रचालक'' कहा गया है), जो अभिकर्ता नहीं है, एक रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके द्वारा अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा की गई

कराधेय प्रदायों के कुल मूल्य का एक प्रतिशत से अनधिक दर पर की जाएगी, जहां ऐसी प्रदायों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचारक द्वारा किया जाना है.

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए धारा ९ की उपधारा (५) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न "कराधेय प्रदायों का शुद्ध मूल्य" से मालों या सेवाओं की कराधेय प्रदायों या दोनों, जिनकी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा आपूर्ति की गई है, से उक्त मास के दौरान प्रदायकर्ताओं द्वारा वापस लौटाई गई कराधेय प्रदायों के समग्र मूल्य को घटाकर समग्र मूल्य अभिप्रेत है.

(२) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगी.

(३) उपधारा (१) के अधीन संग्रहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा.

(४) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामीी प्रदायों, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा मास के दौरान उपधारा (१) के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से दस दिन के पश्चात् इलेक्ट्रोनिक रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा.

(५) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा की जाने वाली मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी प्रदायों, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अन्त के पश्चात् ३१ दिसम्बर से पूर्व इलेक्ट्रोनिक रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा.

(६) यदि कोई प्रचालक उपधारा (४) के अधीन विवरण प्रस्तु करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई है, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा ५० की उपधारा (१) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परन्तु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने को वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिये सम्यक् तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(७) प्रदायकर्ता, जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की है, संगृहित रकम और उपधारा (४) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपनी इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में प्रत्यय का दावा करेगा.

(८) उपधारा (४) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत प्रदायकर्ताओं के ब्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायकर्ताओं के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा.

(९) जहां उपधारा (४) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायकर्ताओं के ब्यौरे धारा ३७ के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते हैं तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी.

(१०) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (९) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको प्रदायकर्ताओं द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में वहां ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जोड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों का मूल्य प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों के मूल्य से उस माल के पश्चात्वर्ती मास की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी, अधिक है.

(११) संबंधित प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (१०) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसा प्रदाय के संबंध में ब्याज सहित कर का संदाय धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर जोड़ी गई रकम पर उस तारीख से, जिसको ऐसा कर शोध्य था, उसके संदाय की तारीख तक करेगा.

(१२) उपायुक्त के रैंक से अन्यून कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके प्रक्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की सूचना की तामील कर सकेगा.—

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से प्रदाय कर रहे प्रदायकर्ताओं द्वारा गोदामों या भांडागारों, चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, धृत मालों का स्टाक, जिसका ऐसे प्रचालक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है और ऐसे प्रदायकर्ताओं ने जिसकी कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा की है,

जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(१३) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (१२) के अधीन सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा.

(१४) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (१२) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा १२२ के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संबंधित प्रदायकर्ता" पद से प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाला प्रदायकर्ता अभिप्रेत है.

इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण.

५३. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) के अधीन कर शोध्य के संदाय के लिए इस अधिनियम, के अधीन धारा ४९ की उपधारा (५) के उपबंधों के अनुसरण में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर जैसा कि धारा ३९ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित है, राज्य कर के रूप में संगृहित रकम को इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम से घटा दिया जाएगा और राज्य सरकार राज्य कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी.

अध्याय ११

प्रतिदाय

कर प्रतिदाय.

५४. (१) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा:

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ४९ की उपधारा (६) के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रोनिक रोकड़ बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा.

१९४७ का ४६

(२) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, १९४७ (१९४७ का ४६)के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा ५५ के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गामी प्रदायों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिये ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें आपूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से छह मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा.

(३) उपधारा (१०) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा:

परंतु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा,—

(एक) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय;

(दो) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदायों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णत: छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है:

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है:

परंतु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी प्रदायों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है.

(४) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे,—

(क) यह साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य है; और

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा ३३ में निर्दिष्ट दस्तावेज हैं) जैसा कि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है, का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे एकत्रित किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज को चुकाने को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है:

परंतु जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रुपए से कम है, तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है.

(५) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का धारा ५७ में निर्दिष्ट निधि में प्रत्यय करेगा.

(६) उपधारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का अनंतिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा की विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (५) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा.

(७) समुचित अधिकारी उपधारा (५) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा.

(८) उपधारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है.—

(क) शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य अंकित प्रदायों के लिए किया गया है, पर कर का प्रतिदाय;

(ख) उपधारा (३) के अधीन प्रत्यय किया गया इनपुट कर, जिसका उपयोग नहीं किया गया है का प्रतिदाय;

(ग) आपूर्ति पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णतः या भागतः उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है;

(घ) धारा ७७ के अनुसरण में कर का प्रतिदाय;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया हो; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज.

(९) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उपधारा (८) के उपबंधों के अनुसरण में कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा.

(१०) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (३) के अधीन कोई प्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी—

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत रहती है, कटौती कर सकेगा.

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है.

(११) जहां किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या और कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है जहां या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, विधारित कर सकेगा.

(१२) जहां उपधारा (११) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा ५६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है.

(१३) इस धारा में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा २७ की उपधारा (२) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा ३९ के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर दी है.

(१४) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रुपए से कम है.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(१) "प्रतिदाय" में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में मालों की आपूर्ति पर कर प्रतिदाय या उपधारा (३) के अधीन यथाउपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है.

(२) "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, यथास्थिति, जहां ऐसे मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,—

(एक) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है; या

(दो) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं; या

(तीन) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मामलों के पारेषण की तारीख;

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की आपूर्ति की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिये स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख—

(एक) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की आपूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है; या

(दो) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिये संदाय को बीजक जारी करने की तारीख से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की संसूचना की तारीख;

(ङ) उपधारा (३) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उद्भूत होता है;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख;

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख.

कतिपय मामलों में प्रतिदाय.

५५. सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, १९४७ के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, जो कि ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित आपूर्ति पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे.

विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज.

५६. यदि किसी आवेदक को धारा ५४ की उपधारा (५) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (१) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा:

परंतु जहां प्रतिदाय के लिये कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप पारित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा ५४ की उपधारा (५) के अधीन समुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (५) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा.

उपभोक्ता कल्याण निधि.

५७. सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में निम्नलिखित का प्रत्यय किया जाएगा,—

(क) धारा ५४ की उपधारा (५) में निर्दिष्ट रकम;

(ख) निधि में प्रत्यय की गई रकम के विनिधान से कोई आय; और

(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियां,

ऐसी रीति से जो विहित की जाये.

निधि का उपयोग.

५८. (१) निधि में प्रत्यय की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिये ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए.

(२) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा पृथक् अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्ररूप में तैयार करेगा.

अध्याय १२
निर्धारण

स्वतः निर्धारण.

५९. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करों या स्वत: निर्धारण करेगा और धारा ३९ के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिये विवरणी प्रस्तुत करेगा.

अनंतिम निधार्रण.

६०.(१) उपधारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति मालों या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है तो वह समुचित अधिकारी को अनंतिम आधार पर लिखित में कर के संदाय के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और समुचित अधिकारी ऐसे अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन से अपश्चात् अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करेगा.

(२) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराधेय व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जो विहित की जाए, और ऐसे प्रतिभू या ऐसा प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी उचित समझे, जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित कर और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का संदाय करने के लिये बाध्य करती हो, निष्पादित करता है.

(३) समुचित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिये यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा:

परंतु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिये तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा.

(४) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मालों या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों पर अनंतिम निर्धारण के अधीन संदेय कर, किन्तु जिसका संदाय नियत तारीख तक धारा ३९ की उपधारा (७) या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन नहीं किया गया है, पर धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या दोनों की उक्त आपूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के पश्चात् वास्तविक संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा चाहे ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो.

(५) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा ५४ की उपधारा (८) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (३) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो ऐसे संदाय पर धारा ५६ में यथा उपबंधित प्रतिदाय का संदाय किया जाएगा.

विवरणियों की संवीक्षा.

६१.(१) समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों की विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिये संवीक्षा करेगा और ध्यान में आई विसंगतियों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा.

(२) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तद्नुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी.

(३) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा ६५ या धारा ६६ या धारा ६७ के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिये अग्रसर होगा.

विवरणियों को फाइल न करने वालों का निर्धारण.

६२(१) धारा ७३ या धारा ७४ में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा ३९ या धारा ४५ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा ४६ के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिये निर्धारण करने के लिये अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिये असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिये धारा ४४ के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा.

(२) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किन्तु धारा ४७ के अधीन विलंब फीस के संदाय या धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा.

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण.

६३. धारा ७३ या धारा ७४ में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिये दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा २९ की उपधारा (२) के अधीन रद्द कर दिया गया है किन्तु जो कर का संदाय करने का दायी था तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपने सर्वोत्तम विवेक और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिये अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिये धारा ४४ के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :

परंतु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाएगा.

कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण.

६४.(१) समुचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिये ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिये अग्रसर होगा और निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है:

परंतु कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व मालों की आपूर्ति के संबंध में है तो ऐसे मालों के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण के दायी कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा और वह कर का और इस धारा के अधीन शोध्य अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर लेगा और धारा ७३ और धारा ७४ में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा.

अध्याय १३

लेखापरीक्षा

कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा.

६५.(१) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या अपने कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेंगे.

(३) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचना के माध्यम से लेखापरीक्षा के संचालन की सूचना दी जाएगी.

(४) उपधारा (१) के अधीन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा:

परंतु जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह मास से अनधिक और कालावधि के लिये कालावधि का विस्तार कर सकेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये "लेखापरीक्षा का आरंभ" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या लेखापरीक्षा के वास्तविक आरंभ पर, कारबार के स्थान, इनमें से जो भी पश्चात्‌वर्ती हों, में उपलब्ध करा दिए जाते हैं.

(५) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,—

(एक) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की उसकी अपेक्षानुसार सत्यापन के लिये उसे आवश्यक सुविधा प्रदान करना.

(दो) उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा के समय पर पूर्ण करने के लिये सहायता प्रदान करने की.

(६) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षों, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों से सूचित करेगा.

(७) जहां उपधारा (१) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा.

६६(१) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के प्रक्रम में सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित में यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा. विशेष लेखापरीक्षा.

(२) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार नब्बे दिन की कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यकत: हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त सहायक आयुक्त को उसमें अन्य विशिष्टयों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा:

परंतु सहायक आयुक्त उसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्विक और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि का नब्बे दिन की और कालावधि से विस्तार कर सकेगा.

(३) उपधारा (१) के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है.

(४) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (१) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा.

(५) उपधारा (१) के अधीन अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा व्यय, जिसके अंतर्गत चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा अवधारण और संदाय किया जाएगा तथा ऐसा अवधारण अंतिम होगा.

(६) जहां उपधारा (१) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने का कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा.

अध्याय १४
निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

६७.(१) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि,— निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति.

(क) जहां किसी कराधेय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या अपने पास रखे गए मालों के स्टाक के संबंध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिये इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है; या

(ख) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे मालों को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नहीं किया गया है या उसने अपने लेखाओं या मालों को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है.

तो वह लिखित में राज्य कर के किसी अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा.

(२) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति के अन्यून समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (१) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिये दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अधिग्रहण करने के लिये लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसे मालों को अधिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मालों के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसा अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय मालों को नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनसे ब्यौहार नहीं करेगा :

परंतु इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिये और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिये आवश्यक हैं.

(३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें या कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज बहियां या चीजें जिन पर इस आधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी करने के लिए अवलंब नहीं लिया गया है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा.

(४) उपधारा (२) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने की या तोड़ने की या किसी अलमारी, इलेक्ट्रोनिकी युक्ति, बाक्स, संदूक, जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी, इलेक्ट्रोनिकी युक्ति, बाक्स, संदूक तक पहुंच को रोका जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोल सकेगा.

(५) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा (२) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों को अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करें, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना समुचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, लेने का हकदार होगा.

(६) उपधारा (२) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनंतिम आधार पर बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमश: ऐसी रीति और ऐसे मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए, या यथास्थिति, लागू कर, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा.

(७) जहां उपधारा (२) के अधीन किन्हीं मालों का अधिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है तो मालों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था:

परंतु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की अवधि का समुचित अधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा.

(८) सरकार मालों के नष्ट होने या परिसंकटमय प्रकृति समय के साथ मालों के मूल्य में अवक्षयण, मालों के लिये भण्डारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा मालों या मालों के ऐसे वर्ग को, जिसका समुचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपधारा (२) के अधीन अभिग्रहण के यथासंभव शीघ्र पश्चात् निपटान किया जाएगा, घोषित कर सकेगी.

(९) जहां कोई माल, जो उपधारा (८) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, जिनका समुचित अधिकारी द्वारा या उपधारा (२) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया गया है, वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा.

(१०) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २७) के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा १६५ उपधारा (५) में "मजिस्ट्रेट" शब्द, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द रख दिया गया था. १९७४ का २

(११) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और इसके लिये पावती प्रदान करेगा, उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिये कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, प्रतिधारित करेगा.

(१२) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकारी अधिकारी किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार परिसर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के क्रय को ऐसे व्यक्ति द्वारा कर बीजकों के जारी करने या आपूर्ति बिलों की जांच करने के लिये क्रय करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए मालों के वापस करने पर कारबार परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति मालों के लिये इस प्रकार संदत्त रकम का पूर्व में जारी किए गए आपूर्ति के लिये कर बीजक या बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा.

संचलन में मालों का निरीक्षण.

६८. (१) सरकार ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्वारा प्रवहन करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, मालों के परेषण का प्रवहन को ले जाए जाने वाले प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, अपेक्षा कर सकेगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन वहन किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों का ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जाएगा, जो विहित की जाए.

(३) जहां उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी प्रवहन को किसी स्थान पर समुचित अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है तो वह उक्त प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधारा के अधीन विहित दस्तावेजों और युक्तियों की सत्यापन करने के लिये प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और युक्तियों को प्रस्तुत करने का तथा मालों के निरीक्षण को भी अनुज्ञात करने का दायी होगा.

गिरफ्तार करने की शक्ति.

६९. (१) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा १३२ की उपधारा (१) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित किया है जो उक्त धारा की उपधारा (१) के खण्ड (एक) या खण्ड (दो) या उपधारा २ के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्वारा राज्य कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये प्राधिकृत करेगा.

(२) जहां किसी व्यक्ति को धारा १३२ की उपधारा (५) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिये उपधारा (१) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार से सूचित करेगा और उसे चौबीस घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

१९७४ का २

(३) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २)के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (१) के अधीन धारा १३२ की उपधारा (४) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिये गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा.

(ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के लिये वहीं शक्तियां होंगी और उन्हीं उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति को पास होती हैं.

व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये समन करने की शक्ति.

७०.(१) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिये या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है.

१८६० का ४५.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा १९३ और धारा २२८ के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझा जाएगा.

कारबार परिसरों तक पहुंच.

७१. (१) संयुक्त आयुक्त से अन्यून समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियां, दस्तावेजों, कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर प्रोग्राम (कम्प्यूटर) साफ्टवेयर चाहे किसी कम्प्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा और ऐसी अन्य चीजों तक और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, पर किसी लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच, जो राजस्व के हितों के सुरक्षोपाय के लिये आवश्यक हो, पहुंच होगी.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किए जाने पर उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखापरीक्षा दल या धारा ६६ के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखाकार या चार्टर्ड लेखाकार को निम्नलिखित—

(एक) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और समुचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषित किया गया है;

(दो) शेष परीक्षण पत्र या उसका समतुल्य;

(तीन) सम्यकत: लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं की वार्षिक विवरणी, जहां अपेक्षित हो;

(चार) कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा १४८ के अधीन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो;

१९६१ का ४३.

(पांच) आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा ४४ कख के अधीन आय-कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो; और

(छ:) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,

अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिये उस दिन से, जिसको ऐसी मांग की गई थी, से पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा अनुज्ञात की जाए, उपलब्ध कराएगा.

७२. (१) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी और केन्द्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्य क्षेत्र कर के अधिकारी हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित अधिकारियों की सहायता करेंगे.

समुचित अधिकारियों की सहायता के लिये अधिकारी.

(२) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये समुचित अधिकारियों की सहायता करने के लिये, जब ऐसा करने के लिये आयुक्त द्वारा कहा जाए, अधिकारियों के किसी वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे अपेक्षा कर सकेगी.

अध्याय १५
मांग और वसूली

७३. (१) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिये जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिये प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिये सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा ५० के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे.

कपट या जान-बूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.

(२) समुचित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिये उपधारा (१०) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व जारी करेगा.

(३) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी कालावधि के लिये कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (१) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिये उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा.

(४) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (१) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिये अवलंब किए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जाएगा.

(५) कर के प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, उपधारा (१) के अधीन सूचना की तामील या उपधारा (३) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व धारा ५० के अधीन उसके द्वारा संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के ऐसे कर के निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा.

(६) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उपधारा (१) के अधीन सूचना या उपधारा (३) के अधीन विवरण की इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय किसी शास्ति के लिये तामील नहीं करेगा.

(७) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (५) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिये उपधारा (१) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिये अग्रसर होगा.

(८) जहां उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा.

(९) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कर, ब्याज और शास्ति की कर के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, को ऐसे व्यक्ति से शोध्य अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा.

(१०) समुचित अधिकारी उपधारा (९) के अधीन आदेश को वित्त वर्ष के लिये वार्षिक विवरणी पारित करने के तारीख, जिसके लिये कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा.

(११) उपधारा (६) या उपधारा (८) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (९) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वत: निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है.

कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.

७४. (१) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिये जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिये प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिये सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा ५० के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे.

(२) समुचित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिये उपधारा (१०) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छह मास पूर्व जारी करेगा.

(३) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी कालावधि के लिये कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (१) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिये उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा.

(४) उपधारा (३) के अधीन विवरण की तामील को धारा ७३ की उपधारा (१) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन समझा जाएगा कि उक्त विवरण में अविलंब लिए गए आधार सिवाय कपट के आधार के या उपधारा (१) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न कर अपवंचन के लिये किसी जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के लिये अवलंब किए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है.

(५) कर से प्रभार्य व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय करेगा और कर के स्वयं निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर ऐसे कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा.

(६) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार किसी संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में सूचना की तामील नहीं करेगा.

(७) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (५) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिये उपधारा (१) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिये अग्रसर होगा.

(८) जहां उपधारा (१) के अधीन कर के प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा.

(९) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा.

(१०) समुचित अधिकारी उपधारा (९) के अधीन उस वित्त वर्ष के लिये वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख से पांच वर्ष के भीतर जिसके लिये कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा.

(११) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (९) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा ५० के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण १- इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(एक) "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा १३२ के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी;

(दो) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिये दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरूद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा १२२, धारा १२५, धारा १२९ और धारा १३० के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिये दायी सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण २- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा.

कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध.

७५. (१) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा ७३ की उपधारा (२) और उपधारा (१०) तथा धारा ७४ की उपधारा (२) और उपधारा (१०) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा.

(२) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा ७४ की उपधारा (१) के अधीन इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिये कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरूद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि धारा ७३ की उपधारा (१) के अधीन सूचना जारी की गई थी.

(३) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा.

(४) सुने जाने के अवसर को वहां अनुदत्त किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकूल विनिश्चिय की प्रत्याशा है.

(५) समुचित अधिकारी यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय अनुदत्त करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा:

परंतु ऐसा कोई स्थगन कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा.

(६) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चिय के लिये सुसंगत तथ्यों का अधिकथन करेगा.

(७) आदेश में मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों के किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी.

(८) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है तो ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को गणना में लेते हुए तदनुसार उपांतरित हो जाएगी.

(९) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए कर पर ब्याज संदेय होगा चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं.

(१०) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा ७३ की उपधारा (१०) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा ७४ की उपधारा (१०) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है.

(११) कोई विवाद्यक, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख के बीच की कालावधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा ७३ की उपधारा (१०) या धारा ७४ की उपधारा (१०) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन हेतुक उपदर्शित जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई हैं.

(१२) धारा ७३ या धारा ७४ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वत: निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णत: या भागत: असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा ७९ के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी.

(१३) जहां धारा ७३ या ७४ के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसे कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा.

संगृहित किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर.

७६. (१) अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात के होते हुए कि वह प्रदाय, जिनके संबंध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा.

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है तो समुचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम को उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए.

(३) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (२) के अधीन सूचना की तामील की गई है, के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा.

(४) उपधारा (१) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपधारा (१) या उपधारा (३) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा ५० के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा संगृहित रकम की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने की तारीख के लिए ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा.

(५) वहां सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे व्यक्ति से, जिसको हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी की गई है, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है.

(६) समुचित अधिकारी सूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा.

(७) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की कालावधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा.

(८) समुचित अधिकारी अपने आदेश में विनिश्चय के सुसंगत कारणों को अधिकथित करेगा.

(९) उपधारा (१) या उपधारा (३) के अधीन सरकार को संदत्त रकम का उपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रदायों के संबंध में व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन किया जाएगा.

(१०) जहां उपधारा (९) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिक्य शेष बचता है तो ऐसे आधिक्य की रकम का या तो निधि में प्रत्यय किया जाएगा या उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को चुकाया है.

(११) वह व्यक्ति, जिसने रकम को चुकाया है, धारा ५४ के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा.

गलती से संगृहित किया गया और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर.

७७. (१) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंत:राज्य आपूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर संदत्त किया है किंतु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतरराज्यीय आपूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार संदत्त रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा.

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतरराज्यीय आपूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतरराज्यीय आपूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, से यथास्थिति, संदेय केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर पर केन्द्रीय कर और राज्य कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी.

वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना.

७८. इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संदत्त किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी:

परंतु जहां समुचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन मास से कम विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली कालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा.

कर की वसूली. ७९. (१) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात्:—

(क) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम की कटौती करने की अपेक्षा करेगा, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है;

(ख) ऐसे व्यक्ति से संबंधित किसी माल जो समुचित अधिकारी अथवा अधिकारी अथवा ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रण के अधीन हो, को निरूद्ध और विक्रय कर ऐसी देय राशि को समुचित अधिकारी वसूल करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से वसूली की अपेक्षा करेगा.

(ग) (एक) समुचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो जाता है, जो ऐसे व्यक्ति के लेखे धन धारण करता है या पश्चात्वर्ती रूप से धन धारण करता है, सरकार को तुरंत धन शोध्य होने पर या उसके द्वारा धारण किए जाने पर सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के शोध्य या धारण किए जाने से पूर्व की नहीं होगी, उतने धन को, जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को संदाय करने के लिए या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(दो) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड (एक) के अधीन सूचना जारी की जाती है ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेषतया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किए जाने से पूर्व इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा;

(तीन) किसी व्यक्ति को, जिसे उपखंड (एक) के अधीन सूचना जारी की गई है, कि उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस नियम या तद्धीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम लागू होंगे;

(चार) उपखंड (एक) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा;

(पांच) उपखंड (एक) के अधीन जारी सूचना की अनुपालना में कोई संदाय करने वाले किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय करने वाला समझा जाएगा और ऐसे संदाय का सरकार में प्रत्यय किए जाने पर ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का रसीद में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार तक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा;

(छह) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (एक) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति निर्वहन किए गए दायित्व के विस्तार तक या कर, ब्याज और शास्ति, इनमें से जो भी कम हो, व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व के विस्तार तक सरकार के प्रतिदायी होगा;

(सात) जहां कोई व्यक्ति जिस पर उपखंड (एक) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोध्य नहीं था या न ही वह व्यतिक्रमी व्यक्ति के लेखे उस पर सूचना की तामील किए जाने के समय किसी धन को धारण कर रहा था, और न ही मांग किया गया धन या उसके किसी भाग के उस व्यक्ति से शोध्य होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लेखे धारण किए जाने की संभावना है, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात की उस व्यक्ति से जिस पर सूचना की ऐसे किसी धन या उसके भाग की सरकार को संदाय करने के लिए तामील की गई है, संदाय करने की अपेक्षा होगी;

(घ) समुचित अधिकारी इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का करस्थम् और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् की लागत या संपत्ति को रखने की लागत ऐसे करस्थम् के पश्चात् अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् असंदत्त रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करना कारित कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगतों संदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत विक्रय की लागत से असंदत लागत है और आधिक्य लागत को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा;

(ङ) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलेक्टर या उक्त अधिकारी ऐसे प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया था;

(च) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित था;

(२) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन निष्पादित कोई बंधपत्र या लिखित यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखित के अधीन शोध्य किसी रकम को उपधारा (१) में अधिकथित रीति में वसूल किया जाएगा तो वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी.

(३) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदत्त रहती है तो केन्द्रीय कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की ऐसी वसूली करेगा मानो वह केन्द्रीय कर का बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम का सरकार के खाते में प्रत्यय करेगा.

(४) जहां उपधारा (३) के अधीन वसूल की गई रकम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का प्रत्यय प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में किया जाएगा.

कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय.

८०. किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वत: निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से भिन्न किसी रकम के संदाय को धारा ५० के अधीन ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा:

परंतु जहां किसी सम्यक् तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यतिक्रम होता है तो ऐसी तारीख को संदेय सभी बकाया शोध्य हो जाएगा और तुरंत संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना की ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना वसूली का दायी होगा.

कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना.

८१. जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात् उससे संबंधित या उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय, बंधक रखने, विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे, जो भी हो, द्वारा अपने किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से विलग होता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय किसी कर या कियी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा:

परंतु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक और इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाहियों के लंबन पर बिना किसी सूचना के या ऐसे कर या उस व्यक्ति द्वारा अन्य संदेय राशि की सूचना के बिना या समुचित अधिकारी के पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है.

कर का संपत्ति पर पहला प्रभार होना.

८२. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सिवाय दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ (२०१६ का ३१) में अन्यथा उपबंधित के किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधेय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा.

कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की.

८३. (१) जहां धारा ६२ या ६३ या धारा ६४ या धारा ६७ या धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा.

(२) ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (१) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा.

कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण.

८४. जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी शोध्य" कहा गया है) के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती है तब.—

(क) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम के संबंध में जिसके द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो उस पर तामील की गई मांग की सूचना में आती हैं, ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नई मांग सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थी,

(ख) जहां सरकारी शोध्यों की ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है तो,—

(एक) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा;

(दो) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित हैं, संसूचना देगा;

(तीन) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर जहां वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रहेंगी.

अध्याय १६

कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व.

८५. (१) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिये दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागतः विक्रय, उपहार, पट्टा, इजाजत और अनुज्ञप्ति, भाटक या किसी अन्य रीति चाहे जो भी हो, अंतरण करता है तो कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्तः पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक शोध्य कर, ब्याज

या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया हो किन्तु जो असंदत्त रहती या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के लिये दायी होगा.

(२) जहां उपधारा (१) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलता है, तो वह ऐसे अन्तरण की तारीख से उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिये कर का और यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है और विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करता है, दायी होगा.

अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व.

८६. जहां कोई अभिकर्ता अपने प्रधान व्यक्ति के निमित्त कराधेय वस्तुओं की आपूर्ति करता है या उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेय कर संदाय करने के लिये दायी होंगे.

कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व.

८७. (१) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और आदेश का आदेश किए जाने की तारीख से पूर्व प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश के प्रभावी होने की तारीख के बीच मालों की या सेवाओं की या दोनों की आपूर्ति की है या मालों को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब ऐसा प्रदाय और प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के आपूर्ति या प्राप्ति कारबार में सम्मिलित किया जाएगा और वह तद्नुसार कर का संदाय करने की दायी होगी.

(२) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए सुभिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा.

परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व.

८८. (१) जब कोई कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा समाप्त किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "परिसमापक" कहा गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा.

(२) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात् जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको वह परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह रकम, जो उसके मत में किसी कर, ब्याज या शास्ति, जो तब या तत्पश्चात् कंपनी द्वारा संदेय है या संदेय हो जाती है, अधिसूचित करेगा.

(३) जब किसी प्राइवेट कंपनी को समाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे पूर्व या प्रक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिये दायी होगा.

प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व.

८९ (१) कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, शोध्य है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा.

(२) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपविर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है तो उपधारा (१) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या सेवाओं की या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक था :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति को लागू नहीं होगी.

फर्म के भागीदारों का कर का संदाय करने के लिये दायित्व.

९०. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है तो फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिये संयुक्त रूप से और पृथकत: दायी होगा:

परन्तु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख को इस निमित्त सूचना द्वारा आयुक्त को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने का चाहे उस तारीख को अवधारित की जाए या नहीं, दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस तारीख तक बना रहेगा जिसको ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है.

संरक्षकों न्यासियों आदि का दायित्व.

९१. जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, को किसी अवयस्क या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अवयस्क या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी संरक्षक न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे संरक्षक या न्यासी या अभिकर्ता पर कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अवयस्क या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, यदि वह वयस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे.

प्रतिपाल्य अधिकरण आदि का दायित्व.

९२. जहां किसी कराधेय व्यक्ति की संपदा या उसके किसी भाग के अधीन कोई कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति कराधेय है, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है, कर, ब्याज या शास्ति उस पर उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका कराधेय के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे.

कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध.

९३. (१) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ (२०१६ का ३१) में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिये दायी है, तब,—

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसके विधिक प्रतिनिधि मृतक की संपदा से उप परिमाण तक, जिस तक

संपदा ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय चुकाने में सक्षम है, संदाय करने के लिए दायी होगा.

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवाधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो किन्तु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् असंदत्त या अवधारित किया गया है.

(२) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तब प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथकत: इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति से बंटवारे के समय तक कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किन्तु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या अवधारित किया गया है.

(३) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ (२०१६ का ३१) में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है और फर्म का विघटन कर दिया गया है तब प्रत्येक व्यक्ति, जो भागीदार था, संयुक्त रूप से या पृथकत: इस अधिनियम के अधीन फर्म से शोध्य, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिये दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किन्तु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है.

(४) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ (२०१६ का ३१) में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति करने के लिए दायी है,—

(क) किसी प्रतिपाल्य का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है; या

(ख) कोई न्यासी है, जो फायदाग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, प्रतिपाल्य या फायदाग्राही कराधेय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिये दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है किन्तु जो असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है.

अन्य मामलों में दायित्व.

९४. (१) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,—

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो कारबार को जारी न रखना हुआ ही न हो; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद करना होते हुए भी फर्म, संगम या कुटंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथकत: दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उससे पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे लागू होंगे मानो वह कराधेय व्यक्ति था.

(२) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा ९० के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथकत: दायी होंगे.

(३) उपधारा (१) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का संगम है, को या कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, को लागू होंगे और तद्नुसार उस धारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जाएगा.

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) "समिति दायित्व भागीदार" जिसे सीमित दायित्व भागीदार अधिनियम, २००८ (२००९ का ६) के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म माना जाएगा;

(दो) "न्यायालय" से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है.

अध्याय १७
अग्रिम विनिर्णय

परिभाषाएं

९५. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से किसी प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा किसी आवेदक को धारा ९७ की उपधारा (२) या धारा १०० की उपधारा (१) में मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया अग्रिम विनिश्चिय अभिप्रेत है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से धारा ९९ के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "आवेदक" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "आवेदन" से धारा ९७ की उपधारा (१) के अधीन प्राधिकारी को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ङ) "प्राधिकारी" से धारा ९६ के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी अभिप्रेत है.

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी का गठन.

९६. (१) सरकार अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के नाम से ज्ञात एक प्राधिकारी का गठन करेगी:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी प्राधिकारी को किसी राज्य के लिए प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी.

(२) प्राधिकारी, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(एक) केन्द्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य; और
(दो) राज्य कर के अधिकारियों में से एक सदस्य,

जिन्हें क्रमश: केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

(३) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं.

अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन.

९७. (१) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला आवेदक ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, एक आवेदन करेगा.

(२) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा,—

(क) किन्ही मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना;

(ग) मालों या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण;

(घ) संदत्त या समझे गए इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता;

(ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के कर दायित्व का अवधारण;

(च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा;

(छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गई कोई विशिष्ट बात का परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बराबर या उनकी आपूर्ति के रूप में होता है.

आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया.

९८. (१) किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकारी उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगा:

परंतु किसी मामले में जहां प्रधिकारी द्वारा किन्ही अभिलेखों की मांग की गई है तो ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा.

(२) प्राधिकारी आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा:

परंतु प्राधिकारी वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है:

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी.

(४) जहां किसी आवेदन को उपधारा (२) के अधीन ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्वीकार किया गया है तो प्राधिकारी द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उद्घोषणा की जाएगी.

(५) जहां प्राधिकारी के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मतभेद रखते हैं, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर वह मतभेद रखते हैं और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चिय के लिए अपील प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेंगे.

(६) प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर लिखित में अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा.

(७) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उदघोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यक्त: हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, प्राधिकारी द्वारा ऐसी उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी.

अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी का गठन.

९९. सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवाकर संबंधी अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी के नाम से ज्ञात एक अपील प्राधिकारी का गठन करेगी:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी अपील प्राधिकारी को किसी राज्य के लिये अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये अधिसूचित कर सकेगी.

अपील प्राधिकारी को अपील.

१००. (१) धारा ९८ की उपधारा (४) के अधीन उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा.

(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको ईप्सित विनिर्णय के विरूद्ध की गई अपील की संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जावेगी:

परंतु अपील प्राधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को दिस दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि से अनधिक और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगा.

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी तथा उसका ऐसी रीति में सत्यापन किया जाएगा, जो विहित की जाए.

अपील प्राधिकारी के आदेश.

१०१. (१) अपील प्राधिकारी अपील या निर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के लिये उचित समझे.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट आदेश धारा १०० के अधीन अपील पारित करने या धारा ९८ की उपधारा (५) के अधीन निर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा.

(३) जहां अपील प्राधिकारी के सदस्य उसे निर्दिष्ट किसी अपील या निर्देश में किसी बिन्दु या उन बिन्दुओं पर मतैक्य नहीं रखते है, और यह समझा जाएगा कि अपील या निर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया गया है.

(४) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्कत: हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसी उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी.

अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि.

१०२. प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी धारा ९८ या धारा १०१ के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश संशोधन कर सकेगी ताकि अभिलेख पटल पर स्पष्ट गलतियों को ठीक किया जा सके, यदि ऐसी गलती प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या अपीलार्थी द्वारा आदेश की तारीख से छह मास के भीतर लाई जाती है:

परंतु ऐसी कोई परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि रखने अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है.

अग्रिम विनिर्णय का लागू होना.

१०३. (१) इस अध्याय के अधीन प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा,—

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिये धारा ९७ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी वांछा की थी;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय बाध्यकर होगा सिवाय तब जब मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियां न बदल गई हों.

कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना.

१०४. (१) जहां अपील प्राधिकारी यह पाता है कि धारा ९८ की उपधारा (४) के अधीन या धारा १०१ की उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो.

स्पष्टीकरण—धारा ७३ की उपधारा (२) और उपधारा (१०) या धारा ७४ की उपधारा (२) और उपधारा (१०) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी.

प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की शक्तियां

१०५. (१) प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,—

(क) खोज और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना.

(२) प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी धारा १९५ के प्रयोजनों के लिये एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष

प्रत्येक कार्यवाही धारा १९३ और धारा २२८ के अर्थातर्गत और भारतीय दंड संहिता की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी.

प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की प्रक्रिया.

१०६. प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी को इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी.

अध्याय १८
अपील और पुनरीक्षण

अपील प्राधिकारी को अपीलें.

१०७. (१) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चिय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो उस तारीख से जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर विहित किया जाए.

(२) आयुक्त उक्त विनिश्चिय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिये स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और परीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओ के अवधारण के लिये जो उक्त विनिश्चिय या आदेश से उद्भूत होते हैं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपील प्राधिकारी को किसी अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन करने के लिये निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए.

(३) जहां उपधारा (२) अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां ऐसा आवेदन अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यवहार किया जाएगा मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे.

(४) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छह मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने के पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा.

(५) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी जो विहित किया जाए.

(६) उपधारा (१) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने,—

(क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति का पूर्ण या ऐसे भाग का संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो.

(७) जहां उपधारा (६) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिये वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी.

(८) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा.

(९) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील सुनवाई की किसी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय देगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित रखेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक समय नहीं दिया जाएगा.

(१०) अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था.

(११) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला विनिश्चिय का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुन:निर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था :

परन्तु अधिहरण या वर्धित मूल्य के माल का अधिकरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या इनपुट कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तांवित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो:

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकारी की जहां यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या इनपुट कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है.

(१२) अपील निपटारा करने वाला अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन करेगा.

(१३) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और विनिश्चय करेगा:

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि एक वर्ष की अवधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी.

(१४) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकारी उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा.

(१५) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अधिकारिता आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित अभिहित प्राधिकारी को और केन्द्रीय कर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी.

(१६) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा १०८ या धारा ११३ या धारा ११७ अथवा धारा ११८ के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा.

पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां.

१०८. (१) धारा १२१ और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना पर या केन्द्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा तथा यदि वह यह मानता है कि उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन कोई विनिश्चय

या आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारवान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध है या नहीं या भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई के पारिणामिक है, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी है.

(२) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि,—

(क) आदेश धारा १०७ या धारा ११२ या धारा ११७ या धारा ११८ के अधीन अपील के अध्यधीन है; या

(ख) धारा १०७ की उपधारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त हो गया है; या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिये लिया जा चुका है; या

(घ) आदेश उपधारा (१) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा चुका है:

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन किसी बिन्दु पर कोई आदेश पारित कर सकेगा जो उपधारा (२) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट किसी अपील में ऐसी अपील में आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उसके समक्ष नहीं उठाया गया है या विनिश्चित नहीं किया गया है.

(३) उपधारा (१) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा ११३ या धारा ११७ अथवा धारा ११८ के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा.

(४) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर्वलित है जिसमें अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय में किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि उपधारा (२) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी जहां पुनरीक्षण के लिये कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं.

(५) उपधारा (१) के अधीन जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (२) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अवधि की परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दी जाएगी.

(६) इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद,—

(एक) ''अभिलेख'' में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे;

(दो) ''विनिश्चय'' में पुनरीक्षण प्राधिकारी से रैंक में न्यून किसी अधिकारी द्वारा दी गई सूचना सम्मिलित होगी.

अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठें.

१०९. (१) इस अध्याय से उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा.

(२) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा १०९ या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी.

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि.

११०. राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा ११० के उपबंधों के अनुसार होगा.

अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया.

१११. (१) अपील अधिकरण, अपने समक्ष किसी कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा बद्ध होगा. लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अध्यधीन द्वारा निर्देशित होगा और अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी.

(२) अपील अधिकरण की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिये शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय में यथा विहित शक्तियों के समान होगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा उसे शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का २) की धारा १२३ और धारा १२४ के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी कार्यालय के किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना.

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना;

(च) चूक या एकपक्षीय विनिश्चिय के किसी प्रतिवेदन पर किसी प्रतिवेदन को खारिज, करना;

(छ) किसी प्रतिवेदन को चूक के लिये खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पास किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; और

(ज) कोई अन्य मामले जो विहित किए जाएं.

(३) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में लागू होगा जैसे न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और यह अपील अधिकरण के लिये विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों के निष्पादन के लिये स्थानीय अधिकारिता के न्यायालय में भेजे,—

(क) कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध आदेश की दशा में जहां संबद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिये व्यापारिक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है.

(४) अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता १८६०(१८६० का ४५) की धारा १९३ और धारा २२८ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा.

अपील अधिकरण को अपील.

११२. (१) इस अधिनियम की धारा १०७ या धारा १०८ के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरूद्ध अपील चाही गई है. अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरूद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा.

(२) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जहां कर या इनपुट कर प्रत्यय अंतर्वलित हो या इनपुट कर में अंतर अंतर्वलित हो या ऐसे आदेश द्वारा जुर्माने की रकम या शास्ति अवधारित होती हो तथा ५० हजार रुपए से अधिक न हो.

(३) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिये इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वत: या केन्द्रीय कर आयुक्त की प्रार्थना पर परीक्षण के लिये मंगा सकेगा और आदेश द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निदेश देकर उस तारीख को जिसको अपने आदेश के आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिये उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा.

(४) जहां उपधारा (३) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपील अधिकरण इस प्रकार निपटाएगा जैसे वह धारा १०७ की उपधारा (११) के अधीन या धारा १०८ की उपधारा (१) के अधीन आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो और इस अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (१) के अधीन फाइल अपील के संबंध में लागू होते हैं.

(५) इस नोटिस की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील हो चुकी है, पक्षकार जिसके विरूद्ध अपील हुई है किसी अन्य बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरूद्ध अपील नहीं की है, नोटिस की प्राप्ति के ४५ दिन में विहित रीति में सत्यापित प्रति आक्षेपों का ज्ञापन, आदेश जिसके किसी भाग के विरूद्ध अपील की गई है, फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा ऐसे निस्तारित किया जाएगा जैसे यह उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गई अपील हो.

(६) अपील अधिकरण, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (५) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् ४५ दिन में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिये अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था.

(७) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित जो विहित की जाए, में होगी.

(८) कोई अपील, उपधारा (१) के अधीन जब तक फाइल नहीं की जाएगी तब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर, दे,—

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और

(ख) धारा १०७ की उपधारा (६) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त विवाद में कर के शेष रकम के २० प्रतिशत के बराबर राशि.

(९) जहां अपीलार्थी उपधारा (८) के अनुसार रकम संदत्त कर चुका है वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निस्तारण तक रोकी हुई समझी जाएंगी.

(१०) अपील अधिकरण के समक्ष,—

(क) त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये कोई अपील;
(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु.

प्रत्येक आवेदन ऐसी ऐसे शुल्क सहित होगा जो विहित किया जाए.

अपील अधिकरण के आदेश.

११३. (१) अपीली अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् विनिश्चय या आदेश जिसके विरूद्ध अपील दायर की गई है के पुष्टिकरण, उपांतरण या बातीलकरण जैसा ठीक समझे, उस पर आदेश कर सकेगा या अपीली प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी का मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को ऐसे निदेशों को जिनको वह ठीक समझे सहित वापस नये न्यायनिर्णयन या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् यदि आवश्यक हों, विनिश्चय के लिये वापस भेज सकेगा.

(२) अपीली प्राधिकारी यदि समुचित कारण दिए जाएं तो किसी अपील की सुनवाई की किसी प्रास्थिति पर उनके लिये कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों को समय प्रदान या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा:

परन्तु यह कि इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार को तीन बार से अधिक नहीं प्रदान किया जाएगा.

(३) यदि ऐसी कोई त्रुटि अपने आप उसे संज्ञान में आ जाती है या आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त या अपील के किसी पक्षकार द्वारा संज्ञान में आदेश की तारीख के तीन मास की अवधि में लाई जाती है तो अपीली अधिकरण अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिये उपधारा (१) के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा:

परंतु यह कि ऐसा कोई संशोधन जो मूल्यांकन की वृद्धि या वापसी की कमी या इनपुट कर प्रत्यय या किसी पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करता है, इस अधिनियम के अधीन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पक्षकार को सुनने का अवसर न प्रदान किया जाए.

(४) अपीली अधिकरण जहां तक संभव हो अपील के फाइल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक अपील सुने और विनिश्चिय करेगा.

(५) अपीली अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकारी अपीलार्थी और अधिकारिता रखने वाले आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त को यथास्थिति भेजेगा.

(६) जैसा कि धारा ११७ या धारा ११८ में उपबंधित है, अपील अधिकरण द्वारा किसी अपील पर पारित आदेश पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा.

राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां.

११४. राज्य अध्यक्ष, किसी राज्य में अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा विहित किया जाए:

परंतु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे, राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों के किसी अन्य सदस्य या अन्य अधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा.

अपील के दाखिल करने के लिये संदत्त रकम की वापसी पर ब्याज.

११५. जहां अपीलीर्थी द्वारा धारा ११२ की उपधारा (८) या धारा १०७ की उपधारा (६) के अधीन संदत्त रकम को अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वापस किया जाना अपेक्षित है तो धारा ५६ के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज की दर से ऐसी वापसी के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसे रकम की वापसी की तारीख तक ब्याज का संदाय किया जाएगा.

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी.

११६. (१) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिये हकदार है या अपेक्षित है, इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्ययधीन शपथ का कथन पर परीक्षा के लिये व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिये इस अधिनियम के अधीन जब उससे अन्यथा अपेक्षित है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा.

(२) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये पद "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उपधारा (१) में निर्देशित व्यक्ति द्वारा उसके स्थान पर हाजिर होने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति है,—

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है; या

(ग) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव को प्रैक्टिस करने का प्रमाण-पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है; या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के वाणिज्य कर विभाग का या बोर्ड का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान समूह "ख" राजपत्रित अधिकारी की रैंक की पंक्ति के अन्यून के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो:

परंतु यह कि ऐसा कोई अधिकारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिये अधिकारी नहीं होगा; या

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिये माल और सेवा कर प्रैक्टिसकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत है.

(३) कोई व्यक्ति,—

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो; या

(ख) जो इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२), समेकित माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १४) या विद्यमान किसी विधि या माल के विक्रय या माल के प्रदाय या सेवाओं या दोनों पर कर लगाने से संबंधित राज्य विधान सभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यावहार का दोषी पाया गया हो;

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो,

उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिये अर्ह नहीं होगा,—

(एक) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिये; और

(दो) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे.

(४) ऐसा कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १४) या अन्य राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन निरर्ह है, इस अधिनियम के अधीन भी निरर्ह समझा जाएगा.

उच्च न्यायालय को अपील.

११७. (१) राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है.

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको व्यथित व्यथित द्वारा अपीलगत आदेश प्राप्त हुआ है से १८० दिन की अवधि में अपील फाइल की जा सकेगी और यह ऐसे प्रारूप में और उस सत्यापित रीति में होगी जो विहित की जाए:

परंतु यह कि उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का समुचित कारण था.

(३) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को विनियमित करेगा और केवल इस प्रकार विनियमित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रत्यर्थी अपील की सुनवाई के दौरान कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है पर बहस करने के लिये अनुज्ञेय होंगे:

परंतु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को तब समाप्त करता है या उसका अल्पीकरण करता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है.

(४) उच्च न्यायालय इस प्रकार विनियमित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे.

(५) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो,—

(क) राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा अवधारित न किया गया हो; या

(ख) उपधारा (३) में यथानिर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारण किया गया हो.

(६) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई हो, वहां यह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की पीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों यदि हो तो उनके बहुमत के मत के अनुसार विनिश्चय की जाएगी.

(७) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिन्दु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिन्दु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और

ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित के बहुमत के मत के अनुसार ऐसे बिन्दु पर विनिश्चय किया जाएगा.

(८) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन फाइल अपील में निर्णय दे दिया है तो ऐसे निर्णय को प्रभाव इसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष द्वारा दिया जाएगा.

(९) इस अधिनियम में जैसे पहले अन्यथा उपबंधित किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में, जहाँ तक संभव हो लागू होंगे.

उच्चतम न्यायालय को अपील.

११८. ऐसी अपील जो उच्चतम न्यायालय में होगी,—

(क) राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध; या

(ख) किसी मामले में धारा ११७ के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरूद्ध, जो स्वत: या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित के द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय या आदेशों के पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिये उचित मामला है.

(२) सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं जहां तक संभव हो इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिक्री की अपील के मामले में होते हैं.

(३) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या उलट गया हो वहां उच्च न्यायालय का आदेश उस प्रकार प्रभावी होगा, जैसे उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा ११७ में यथा उपबंधित रीति में उच्चतम न्यायालय का आदेश होता है.

राशियां जो अपील आदि के होने के बाद भी संदत्त की जानी है.

११९. किसी बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, धारा ११३ के उपधारा (१) के अधीन अपील अधिकरण की राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों या धारा ११३ की उपधारा (१) के अधीन अपील अधिकरण के राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों या धारा ११७ के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति पारित किसी आदेश के परिणामस्वरुप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय की जाएगी.

कतिपय मामलों में अपील का फाइल नहीं किया जाना.

१२०. (१) आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों से, जैसा ठीक समझे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राज्य कर अधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील या आवेदन के नियमन के प्रयोजन के लिये ऐसी किसी मौद्रिक सीमा को नियत कर सकेगा.

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर का अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन नहीं फाइल कर सकेगा, यह राज्य कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंतर्वलित समान या समतुल्य विवाद्यक या विधि के प्रश्न के विरूद्ध अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा.

(३) किसी बात के होते हुए भी यह तथ्य कि उपधारा (१) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति अपील में या आवेदन में पक्षकार होते हुए भी किसी अपील या आवेदन के फाइल न किए जाने पर विवादित बिन्दु पर विनिश्चय से वहा अधिकारी राज्य कर का अधिकारी अवगत था, आशयित नहीं करेगा.

(४) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उपधारा (१) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा.

१२१. इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी बात के होते हुए भी राज्य कर के अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं हो सकेगी, यदि ऐसा लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है, अर्थात् :— **अपील न किए जाने योग्य विनिश्चय और आदेश.**

(क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त हो; या

(ख) लेखा बहियों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का अधिग्रहण या प्रतिधारित करने का कोई आदेश; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश ; या

(घ) धारा ८० के अधीन पारित कोई आदेश.

अध्याय १९
अपराध और शास्तियां

१२२.(१) जहां कराधेय व्यक्ति जो,— **कतिपय अपराधों के लिए शास्ति.**

(एक) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों का प्रदाय करता है या ऐसे किसी प्रदाय के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है ;

(दो) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के बिना बीजक या बिल जारी करता है;

(तीन) कर के रूप में किसी रकम का संग्रह कर उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, असफल रहता है;

(चार) इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी कर का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, करने में असफल रहता है;

(पांच) धारा ५१ की उपधारा (१) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (२) के अधीन सकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है;

(छह) धारा ५२ की उपधारा (१) की उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण में असफल रहता या कोई रकम संग्रहीत करता है जो उक्त उपधारा के अधीन संग्रहीत किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से कम रकम का संग्रहण है या जहां वह धारा ५२ की उपधारा (३) के अधीन कर के रूप में संग्रहीत रकम को सरकार को संदत करने में असफल रहता है;

(सात) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत चाहे पूर्णत: या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक प्राप्ति के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है;

(आठ) इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है ;

(नौ) धारा २० या उसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है;

(दस) इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय से बचने के आशय से वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है;

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है ;

(बारह) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के विवरण के संबंध में गलत सूचना देता है;

(तेरह) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को रोकता है या प्रवारित करता है;

(चौदह) इस निमित तथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कराधेय किसी माल का परिवहन कराता है;

(पन्द्रह) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने टर्नओवर को छिपाता है;

(सोलह) इस अधिनियम के या तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखा की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को रखने, संधारित करने या प्रतिधारित करने में असमर्थ रहता है;

(सत्रह) इस अधिनियम के या तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है ;

(अठारह) ऐसे किसी माल को प्रदाय, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं.

(उन्नीस) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग द्वारा किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है ;

(बीस) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है ;

(इक्कीस) किसी माल को खुर्दबुर्द या छेड़छाड़ करता है जो इस अधिनियम के अधीन रोके, जब्त या कुर्क किया हुआ था,

दस हजार रुपये या अपवंचित कर या धारा ५१ के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परन्तु सरकार को संदेय नहीं किए गए कर या धारा ५२ के अधीन संगृहीत नहीं किए गए कर या कम संगृहीत या संग्रहीत परन्तु सरकार को संदत्त नहीं किए गए या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या पारित या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गई वापसी जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम को शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा.

(२) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल का प्रदाय सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है कम संदत किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या किसी कारण से प्रयोग किया है,—

(क) कर के अपवंचन के लिये कपट या जानबूझ कर गलत कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी कारण के लिए, दस हजार रुपये या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत जो उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा.

(ख) कर के अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण के लिए है तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर की शास्ति से, जो उच्चतर हो, दायी होगा.

(३) कोई व्यक्ति जो,—

(क) उपधारा (१) के खंड (एक) से खंड (इक्कीस) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन में से हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, प्रदाय करने या क्रय या अन्य किसी रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन जब्ती के लिये दायी ;

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या इसके प्रदाय से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी प्रदाय को करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है यह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु सम्मन के जारी होने पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है.

(ङ) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिए कैफियत देने में असमर्थ रहता है.

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी.

सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति.

१२३. यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा १५० के अधीन सूचना के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उपधारा (३) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन के लिए जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, के लिए सौ रुपए प्रतिदिन की शास्ति के लिए दायी होगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार से अधिक नहीं होगी.

आंकड़े देने में असमर्थ रहने पर जुर्माना.

१२४. यदि किसी व्यक्ति से धारा १५१ के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है,—

(क) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण देने में असमर्थ रहता है, या

(ख) कोई सूचना या विवरणी जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझकर प्रस्तुत करता है, या कराता है.

वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा और अपराध जारी रखने की दशा में और जुर्माने से जो ऐसे प्रथम दिन जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक सौ रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा.

साधारण शास्ति.

१२५. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित किन्हीं नियमों के किसी उपबंध जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी.

शास्ति से संबंधित सामान्य अनुशासन.

१२६. (१) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी कर विनियमन या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के छोटे भंग और विशेषत: दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा बिना कपटपूर्ण आशय या समग्र लापरवाही के बिना किए गए हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा.

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए—

(क) यदि किसी भंग जिसमें पांच हजार रुपए से कम का कर अंतर्वलित है तो वह "छोटा भंग" माना जाएगा;

(ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली मानी जा सकेगी जो अभिलेख पर भी एक प्रत्यक्ष त्रुटि है.

(२) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग की अवस्था और गंभीरता के अनुपात में होगी.

(३) किसी व्यक्ति पर बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी.

(४) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के आदेश में शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रियाएं जिनके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करेगा.

(५) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले या कर विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य पर न्यूनकारी घटक के रूप में विचार करेगा.

(६) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति या तो नियत राशि है या नियत प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त है.

कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति.

१२७. जहां समुचित अधिकारी इस विचार का है व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा ६२ या धारा ६३ या धारा ६४ या धारा ७३ या धारा ७४ या धारा १२९ या धारा १३० के अधीन किसी कार्यवाही में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा.

शास्ति या फीस या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति.

१२८. सरकार, अधिसूचना द्वारा कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा १२२ या धारा १२३ या धारा १२५ में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा ४७ में निर्दिष्ट किसी विलंब फीस का भागत: या पूर्णत: और परिषद् की सिफारिशों पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी कम करने वाली परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकेगी.

अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण.

१२९. (१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में हैं,सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त साधन और ऐसे माल से संबंधित दस्तावेज और अभिवहन अभिरक्षा में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होगा तथा निरोध या अभिग्रहण निम्न-लिखित परिस्थितियों में निर्मुक्त हो सकेगा,—

(क) ऐसे माल पर लागू कर के और संदेय कर के १०० प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का ५० प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर:

परंतु यह कि इस प्रकार का माल या अभिवहन माल का परिवहन करने के लिए व्यक्ति पर अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश के तामील कराए बिना अभिरक्षा में या अभिग्रहण में नहीं लिया जाएगा.

(२) धारा ६७ की उपधारा (६) के उपबंध माल की अभिरक्षा और अभिग्रहण और प्रवहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

(३) माल की अभिरक्षा या अभिग्रहण या प्रवहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के लिए आदेश पारित करेगा.

(४) बिना संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए कर, ब्याज या शास्ति उपधारा (३) के अधीन अवधारित नहीं की जाएगी.

(५) उपधारा (१) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (३)में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी.

(६) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (१) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन में असफल रहता है तो अग्रसर कार्यवाहियां धारा १३० की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएंगी:

परंतु यह कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में ह्रास की प्रकृति का है तो उक्त सात दिन की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी.

माल या प्रवहण की जप्ती और शास्ति का उद्ग्रहण.

१३०. (१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति,—

(एक) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंघन में माल का प्रदाय या प्राप्ति कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(दो) किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या

(तीन) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल का प्रदाय; या

(चार) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बने नियमों को उल्लंघन कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(पांच) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में माल को ढोने के लिए परिवहन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का स्वामी यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके ऐजेंट की बिना जानकारी या गठजोड़ के यह कार्य हुआ है,

तब ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा १२२ के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा.

(२) जब कभी किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्त माल के स्थान पर ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा:

परंतु यह कि ऐसा उद्‌ग्रहणीय जुर्माना जब्त माल के बाजार मूल्य से अधिक तथा उस पर प्रभारित कर से कम नहीं होगा:

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्‌ग्रहणीय शास्ति धारा १२९ की उपधारा (१) के अधीन उद्‌ग्रहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा:

परंतु यह भी कि जहां माल को ढोने या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में प्रयुक्त कोई ऐसा प्रवहण या स्वामी को जब्त प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प किया जा सकेगा.

(३) जहां उपधारा (२) के अधीन अधिरोपित माल या प्रवहण की जब्ती के स्थान पर उपधारा (१) में निर्दिष्ट ऐसे माल का स्वामी या प्रवहण या व्यक्ति इसके अतिरिक्त किसी ऐसे माल का प्रवहण की बाबत कर, शास्ति और शोध्य प्रभारों के लिए दायी होगा.

(४) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति का अधिरोपण का आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं जारी किया जाएगा.

(५) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा.

(६) जब्ती के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसको सहयोग करेगा.

(७) समुचित अधिकारी स्वयं के समाधान के पश्चात् कि जब्त माल या प्रवहण इस अधिनियम की धारा के अधीन किसी अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के स्थान पर जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनधिक युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय उत्पाद सरकार को जमा करेगा.

जब्ती या शास्ति अन्य दंडों से व्यतिरेक नहीं करेगा.

१३१. दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई जब्ती या अधिरोपित शास्ति किसी अन्य दंड जो उससे प्रभावित व्यक्ति को इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, के दंड से प्रवारित करेगा.

कतिपय अपराधों के लिए दंड.

१३२. (१) जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है, अर्थात्,—

(क) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय कर के अपवंचन के आशय से करता है;

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में इनपुट कर प्रत्यय की गलत प्राप्ति या उपयोग के प्रयोग या कर की वापसी के लिए माल या सेवा या दोनों का प्रदाय कर के बिना बीजक या बिल के जारी करना;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल में प्रयोग का इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है;

(घ) कोई रकम कर के रूप में संगृहीत करता है किन्तु उसे उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन मास की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है;

(ङ) कर अपवंचन, कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से (घ) में नहीं आता;

(च) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झुठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसकी झूठी सूचना को प्रस्तुत करता है;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकता है या प्रवारित करता है;

(ज) किसी माल जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों को जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है, हटाता है या जमा करता है, रखता है, छिपाता है, प्रदाय करता है या विक्रय करता है या किसी अन्य रीति में निपटाता है;

(झ) किसी माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसके प्रदाय से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा प्रदाय में लगा रहता है जिसको वह जानते हुए करता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है;

(ञ) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(ट) किसी सूचना का प्रदाय करने में असफल रहता है जिसे उसे इस अधिनियम में या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन प्रदाय के लिए वह अपेक्षित है (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, सिद्ध करने का भार जो उस पर है कि उसके द्वारा प्रदाय की गई सूचना सत्य है) या झूठी सूचना देता है, या

(ठ) इस धारा के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है,

दंडनीय होगा—

(एक) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से, या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम के मामलों में गलत वापसी प्राप्त की गई रकम पांच सौ लाख रुपए से अधिक है ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से;

(दो) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम के मामलों में गलत वापसी प्राप्त की गई रकम दो सौ लाख रुपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रुपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(तीन) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से या उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम के मामलों में गलत वापसी प्राप्त की गई रकम एक सौ लाख रुपए से अधिक है लेकिन दो सौ लाख रुपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(चार) खंड (च) या खंड (छ) या खंड (ज) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा.

(२) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुन: इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा,

(३) उपधारा (१) के खंड (एक), (दो) और (तीन) और उपधारा (२) में निर्दिष्ट कारावास विशेष और उचित कारण जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित की गई है की अनुपस्थिति में छह मास से कम अवधि का नहीं होगा.

(४) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उपधारा (५) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय असंज्ञेय और जमानतीय होगा.

(५) उपधारा (१) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उपधारा के खंड (एक) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर-जमानतीय होगा.

(६) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "कर" में अपवंचित कर की रकम या गलत रूप से रखी गई कर प्रत्यय की रकम प्रयुक्त की गई रकम या उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गलत रूप से ली गई रकम केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १३) तथा माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १५) के अधीन उद्ग्रहीत उपकर सम्मिलित है.

अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व.

१३३. (१) जहां कोई व्यक्ति जो धारा १५१ के अधीन सांख्यिकियों के संग्रहण या समेकन या उनके कंप्यूटरीकरण या यदि धारा १५० की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच के लिए राज्य कर का कोई अधिकारी लगा हुआ है या समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समान पोर्टल या अभिकर्ता जानबूझकर इस अधिनियम अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी विवरणी के अंश उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन के लिए वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का होगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए या दोनों से दंडनीय होगा.

(२) कोई व्यक्ति,—

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया सकेगा;

(ख) जो सरकारी सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा.

अपराध का संज्ञान.

१३४. न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध या संज्ञान बिना आयुक्त की पूर्व अनुमति के नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम का न्यायालय ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा.

आपराधिक मानसिक दशा की उदधारणा.

१३५. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन जो आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता को अनुमान लगाएगा लेकिन अभियुक्त के लिए यह तथ्य सिद्ध करने के लिए यह बचाव होगा कि वह इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत इस मानसिक स्थिति का नहीं था.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये :—

(एक) "आपराधिक मानसिक दशा" पद में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और उसमें विश्वास या विश्वास करने का कारण, कोई तथ्य शामिल है;

(दो) कोई तथ्य सिद्ध किया हुआ केवल तब कहा जाएगा जब न्यायालय इस पर बिना युक्तयुक्त संदेह के परे होना विश्वास करता है और केवल जब इसकी विद्यमानता प्राथमिकता की संभाव्यता द्वारा स्थापित है.

कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगतता.

१३६. इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा ७० के अधीन जारी किसी सम्मन के संदर्भ में हाजिर व्यक्ति द्वारा किया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, तथ्य की सत्यता जिसमें होगा—

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था मर गया है या नहीं मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या विरोधी पक्ष द्वारा रास्ते से परे कर दिया गया है या जिसकी उपस्थिति देरी या बिना खर्चे के प्राप्त नहीं की जा सकती है, मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अनौचित्यपूर्ण मानेगा; या

(ख) जब किसी व्यक्ति जिसने कथन किया है और न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में उसका परीक्षण किया गया है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा.

१३७. (१) जहां कोई अपराध, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है और वह व्यक्ति एक कंपनी हो वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। **कंपनियों द्वारा अपराध.**

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा.

(३) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार या किसी न्यास के भागीदार या कर्ता या प्रबंध, न्यासी होने के कारण किया जाता है, उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए किए जाने के अधीन दायी होंगे. ऐसे व्यक्तियों को उपधारा (२) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

(४) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसे ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(दो) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है.

१३८. (१) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमन होगा: **अपराधों का प्रशमन.**

परन्तु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) कोई व्यक्ति जो धारा १३२ की उपधारा (१) के खंड (क) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था और खंड (१) में विनिर्दिष्ट अपराध जिससे उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है;

(ख) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के प्रदाय के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १४) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र.१३) के उपबंधों के अधीन जो खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया था;

(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है, जिसने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध भी किया है;

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है;

(ङ) कोई व्यक्ति जो धारा १३२ की उपधारा (१) के खंड (छ) या खंड (ञ) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है; और

(च) कोई अन्य व्यक्तियों या अपराधों का वर्ग जो विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई प्रशमन अनुज्ञात होगा जो किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्रवाईयों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालता:

परंतु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् प्रशमन अनुज्ञात होगा.

(२) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम, न्यूनतम रकम दस हजार रुपए या अन्तर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी होगी, जो विहित की जाए.

(३) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसे प्रशमन रकम के संदाय पर समान अपराध और किसी अन्य दांडिक कार्यवाहियों के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अग्रेतर कार्यवाहियां संस्थित नहीं होंगी, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही संस्थित है, समाप्त हो जाएगी.

अध्याय २०
संक्रमणकालीन उपबंध

विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन.

१३९. (१) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी होगा, जिसे जब तक कि उपधारा (२) के अधीन अंतिम प्रमाण-पत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है.

(२) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा.

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त है कि वह धारा २२ या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था.

इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं.

१४०. (१) धारा १० के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाता में, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी, जिसे उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत किया गया है, मूल्यवर्धित कर यदि कोई हो, की रकम के प्रत्यय को अग्रनीत करने के लिए हकदार होगा:

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थात्:—

(एक) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या

(दो) जहां वह नियत दिन के तत्काल पूर्व छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है; या

औद्योगिक प्रोत्साहन रखने वाले राज्यों को लागू.

परंतु यह और कि उक्त प्रत्यय की उतनी रकम, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) धारा ३, धारा ५ की उपधारा (३), धारा ६, धारा ६क या धारा ८ की उपधारा (८) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, १९५७ के नियम १२ में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किए जाने की पात्र नहीं होगी:

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का उस समय विद्यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा जब उक्त दावों को केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, १९५७ के नियम १२ में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है.

(२) धारा १० के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रनीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन लेने को समाप्ति अवधि के लिए हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय उक्त जमा को जब तक जमा करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में भी अनुज्ञेय है.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय" पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि इनपुट कर प्रत्यय की रकम के घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति ने इनपुट कर प्रत्यय की औसत रकम से विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की रकम प्राप्त कर ली है जो विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल के संबंध में हकदार था;

(३) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन ऐसे छूट प्राप्त या कर मुक्त मालों, चाहें किसी भी नाम से ज्ञात हों, या ऐसे मालों, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिंदु पर कर लगाया गया है और उनके पश्चात्वर्ती विक्रय राज्य में कर के अधीन नहीं हैं, के विक्रय में लगा है, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं (या जहां व्यक्ति मालों के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था), अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिन को मूल्यवर्धित कर यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा, अर्थात्:—

(एक) इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए ऐसे इनपुट या मालों के उपयोग या कराधेय प्रदाय करने के लिए उपयोग के आशयित है;

(दो) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र होगा;

(तीन) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे अन्य विहित दस्तावेज, जो ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप है, रखता है;

(चार) नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी किए गए ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज जारी नहीं किए गए थे:

परंतु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुटों के संबंध में कर के संदाय का साक्ष्य कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसी जमा के लाभ हस्तांतरित करने को प्राप्तकर्ता को मूल्य की कमी के द्वारा ऐसे जमा को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसी दर पर जमा करने का अनुज्ञात होगा.

(४) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ-साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, के विनिर्माण में लगा है, अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा,—

(क) उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत मूल्यवर्धित कर यदि कोई हो, के जमा की रकम; और

(ख) उपधारा (३) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के संबंध में नियत दिन को स्टाक में रखे गए इनपुटों और अर्ध-निर्मित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्यवर्धित कर यदि कोई हो, के प्रत्यय की रकम.

(५) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के संबंध में अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में मूल्यवर्धित कर यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किंतु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्ध किया गया था:

परंतु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शित करने पर तीस दिन की और अधिक अवधि आयुक्त द्वारा विस्तारित होगी:

परंतु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन जमा के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी देगा.

(६) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध-निर्मित या निर्मित मालों के इनपुट को स्टाक में धारित स्टाक और इनपुट के संबंध में पात्र शुल्क की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :—

(एक) इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुट या मालों जो प्रयोग किए गए हैं या कराधेय प्रदाय करने के लिए आशयित है;

(दो) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा १० के अधीन कर संदाय नहीं करता है;

(तीन) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुट पर इनपुट प्रत्यय कर के लिए पात्र है;

(चार) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुट के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज कब्जे में है; और

(पांच) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के तत्काल पूर्व बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे.

(७) उपधारा (३), उपधारा (४), और उपधारा (६) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में प्रगणित होगी, जो विहित की जाए.

जॉब वर्क संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध.

१४१. (१) नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, जहां कोई इनपुट, कारबार के एक स्थान पर प्राप्त होता है और उसे उसी रूप में आगे और प्रसंस्करण, जांच, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी कर्मकार को आंशिक रूप से प्रसंस्करण के पश्चात् प्रेषित कर दिया जाता है और ऐसे इनपुटों को उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् वापस भेजा जाता है तो उस समय कोई कर संदेय नहीं होगा, यदि ऐसे इनपुटों को जॉब वर्क के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस भेज दिया जाता है:

परंतु छह मास की अवधि पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढ़ायी जा सकेगी:

परंतु यह और कि यदि ऐसा इनपुट छह मास की अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा १४२ की उपधारा (८) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किये जाने का दायी होगा:

(२) जहां कोई अर्द्ध तैयार माल कारबार के किसी स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएँ करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस उपधारा में ''उक्त माल'' कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को वापिस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है:

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तक बढ़ाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा १४२ की उपधारा (८) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, नियत दिन से भारत में कर के संदाय पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को, वहां से आगे उनका कहीं और प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए या, यथास्थिति, छह मास के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अंतरित कर सकेगा.

(३) जहां किसी माल कारबार के स्थान से किसी परीक्षण कराये जाने या अन्य प्रक्रिया हेतु कर का संदाय किये बिना किन्हीं परिसरों में, चाहे रजिस्ट्रीकृत हों या नहीं, विद्यमान विधि के अनुसार नियत दिवस के पूर्व, प्रेषित कर दिया गया था, और ऐसा माल कारबार के उक्त स्थान पर नियत दिवस को या उसके पश्चात् लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन या किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन नियत विदस से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया है:"

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को, आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा १४२ की उपधारा (८)के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, नियत दिन से भारत में कर के संदाय पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को, वहां से आगे उनका कहीं और प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए या, यथास्थिति, छह मास के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अंतरित कर सकेगा.

(४) उपधारा (१), उपधारा (२) और उपधारा (३) के अधीन कर उस समय संदेय नहीं होगा, यदि माल भेजने वाला व्यक्ति और जॉब वर्कर यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर और उस प्ररूप और रीति में नियत तारीख पर विनिर्माता की ओर से जॉब वर्कर द्वारा स्टाक में रखे माल अथवा इनपुट के ब्यौरे की घोषणा करता है.

प्रकीर्ण संक्रमण कालीन उपबंध.

१४२. (१) जहां किसी माल पर कोई कर, यदि कोई है, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन देय किया गया था, नियत तारीख से पूर्व छह मास अपेक्षा पूर्व का समय ना हुआ हो, नियत तारीख के पश्चात् अथवा कारबार के स्थान पर वापिस किया जाता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन देय शुल्क के वापस किए जाने के लिए पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को वापस किया जाता है तथा ऐसे माल का उचित अधिकारी के समाधान होने पर पहचान की जारी है:

परन्तु यह कि उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वापस किया जाता है, ऐसे माल की वापसी आपूर्ति के लिए समझी जाएगी.

(२) (क) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत तारीख के पश्चात् अथवा उससे पूर्व ऊपर की ओर पुनरीक्षित की जाती है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जिसने ऐसे मालों का विक्रय किया गया था. ऐसे पुनरीक्षित कीमत की ३० दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टयों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट को पाने के लिए ऐसे माल या सेवा अथवा दोनों के जारी किए जाने का उपबंध किया गया था या हटा दिया गया था तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को इस नियम के अधीन की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया समझा जाएगा.

(ख) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत तारीख के पश्चात् अथवा उससे पूर्व नीचे की ओर पुनरीक्षित की जाती है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसने मालों का विक्रय किया था, ऐसे पुनरीक्षित कीमत की ३० दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा जमापत्र को पाने के लिए ऐसे माल या सेवा अथवा दोनों के जारी किए जाने का उपबंध किया गया था या हटा दिया गया था तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा जमापत्र को इस अधिनियम के अधीन की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया समझा जाएगा:

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल प्रत्यय नोट के जारी किए जाने पर दायी उसके कर को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि प्रत्यय नोट के पाने पर दायी कर के ऐसे कम करने के लिए तत्स्थानी उसका इनपुट कर प्रत्यय घट जाता है.

(३) विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय, कर, ब्याज अथवा कोई अन्य रकम के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा और उसके लिए प्रोद्भूत की गई पारिणामिक किसी रकम को विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद संदेय किया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागत: अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी:

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है.

(४) नियुक्त तारीख के पश्चात् अथवा उसके पूर्व निर्यात किए गए किसी माल या सेवा के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन किसी संदेय कर के प्रतिदाय हेतु नियत तारीख के पश्चात् फाइल किए गए प्रतिदाय हेतु प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के अनुसार निपटाया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागत: अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी:

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है.

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियत दिन से पूर्व उलट दिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर के प्रत्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी.

(६) (क) आशयित इनपुट कर प्रत्यय हेतु दावे के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण पुनर्विलोकन अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो तथा दावा करने के लिए स्वीकार की गई पायी जाने वाली प्रत्यय की कोई रकम विद्यमान विधि के अधीन नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह रकम अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी:

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत के तारीख के रूप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है.

(ख) आशयित इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनर्विलोकन पुनरीक्षण अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी:

(७) (क) आशयित बाहरी शुल्क अथवा देय कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क अथवा कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी.

(ख) आशयित आउटपुट कर दायित्व के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनर्विलोकन पुनरीक्षण अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाई जाएगी तथा कोई दावाकृत रकम स्वीकार योग्य पाई जाती है विद्यमान विधि के अधीन नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी.

(८) (क) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन को या उसके पश्चात् संस्थित निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के अनुसरण में किसी कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की रकम किसी व्यक्ति वसूलनीय हो जाती है तो उस रकम को जब तक कि विद्यमान विधि के अधीन वसूल न की गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूला जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी.

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियत दिन को या उसके पश्चात् संस्थित निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के अनुसरण में किसी कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की रकम कराधेय व्यक्ति को प्रतिदेय हो जाती है तो उस रकम का उसे उक्त विधि के अधीन नकद में प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी.

(९) (क) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की जाती है, का नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षण किया जाता है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूलनीय पायी जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय की रकम अननुज्ञेय पायी जाती है तो उसको विद्यमान विधि के अधीन वसूला जाएगा, उसकी इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी.

(ख) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन तैयार की गई हो, नियत तारीख के पश्चात् परन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम प्रतिदाय की जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय किसी कर योग्य व्यक्ति के लिए स्वीकार्य पाई जाती है, विद्यमान विधि के अधीन तब तक प्रतिदाय नहीं की जाएगी, विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह रकम अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी.

(१०) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख के पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत तारीख के पश्चात् अथवा माल या सेवा अथवा दोनों आपूर्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगा.

(११) (क) धारा १२ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन मालों पर कोई कर उस विस्तार तक संदेय नहीं होगा जिस तक उक्त मालों पर मध्यप्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (क्र. २० सन् २००२)के अधीन उक्त माल पर कर उद्ग्रहीत किया गया था.

(ख) धारा १३ में अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगा वह वित्त अधिनियम, १९९४ (१९९४ का ३२) के अध्याय ५ के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहीत किया गया था.

(ग) जहां मध्यप्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (क्र. २० सन् २००२) और वित्त अधिनियम, १९९४ (१९९४ का ३२) के अध्याय ५ के अधीन दोनों से किसी आपूर्ति पर देय था, ऐसा कर इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत

किया जाएगा तथा कर योग्य व्यक्ति नियत तारीख के पश्चात् किए गए प्रदायों के विस्तार के लिए विद्यमान विधि के अधीन मूल्यवर्धित कर या सेवा कर के प्रत्यय को देने के लिए हकदार होगा तथा ऐसे प्रत्यय की उस रीति में जैसी विहित की जाए गणना की जाएगी.

(१२) जहां कोई माल नियत तारीख के पूर्व छह मास से पूर्व अनधिक अवधि के अनुमोदन के आधार पर भेजा जाता है, वहां क्रेता द्वारा वापस किया जाता है अथवा अनुमोदन नहीं किया जाता है और नियत तारीख के पश्चात् अथवा उस तारीख को विक्रेता को वापस किया जाता है, उस पर कोई कर नहीं देय होगा यदि ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर वापस किया जाता है:

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तक बढाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कर माल के वापस किए जाने वाले व्यक्ति को देय होगा यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी होता है तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस किया जाता है:

परन्तु यह भी कि कर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा संदेय किया जाएगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है.

(१३). जहां प्रदायकर्ता ने ऐसे माल का कोई विक्रय किया है जिसके संबंध में मध्यप्रदेश मूल्यवर्धित कर, २००२ (२००२ का क्र. २०) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और नियत तारीख के पूर्व बीजक भी जारी किया गया है, धारा ५१ के अधीन स्रोत पर उक्त धारा के अधीन कटौतीकर्ता के द्वारा किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी जहां उक्त प्रदायकर्ता को संदाय नियत तारीख के पश्चात् किया जाता है.

(१४). जहां प्रधान के कोई माल या पूंजी माल नियत दिन को अभिकर्ता के परिसरों में रखे हैं, वहां अभिकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसे मालों पर संदत्त कर का प्रत्यय लेने के लिए हकदार होगा, अर्थात्:—

(एक) अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है;

(दो) प्रधान और अभिकर्ता, दोनों ही नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे अभिकर्ता के पास रखे मालों या पूंजी मालों के स्टॉक के ब्यौरों की घोषणा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर करते हैं, जो इस निमित्त विहित किया जाए;

(तीन) ऐसे मालों या पूंजी मालों के लिए बीजक नियत दिन से ठीक पूर्व के बारह मासों की अवधि से पूर्व जारी नहीं किए गए थे; और

(चार) प्रधान ने या तो ऐसे,—

(क) मालों; या

(ख) पूंजी मालों,

के संबंध में या तो इनपुट कर प्रत्यय को वापस कर दिया है या उसका फायदा नहीं लिया है या ऐसे प्रत्यय का फायदा ले लेने के पश्चात् उसे, उसके द्वारा लिए गए फायदे की सीमा तक वापस लौटा दिया है.

अध्याय २१

प्रकीर्ण

जॉबवर्क की प्रक्रिया.

१४३. (१) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (इसके पश्चात् इस धारा में "प्रधान" कहा गया है ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए और सूचना के अधीन जॉबवर्क कार्य के लिए जॉब वर्कर को बिना कर के संदाय के कोई इनपुट अथवा पूंजीमाल भेज सकता है तथा पश्चात्वर्ती रूप में अन्य जॉब वर्कर को भेज सकता है, और—

(क) जॉब वर्क के पूरा हो जाने के पश्चात् या अन्यथा, इनपुट या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी माल कर के संदाय के बिना, कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, वापस लाएगा;

(ख) जॉब वर्क के पूरा हो जाने के पश्चात् या अन्यथा, इनपुट या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से भिन्न पूंजी माल कर के संदाय के बिना, भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर से संदाय के बिना अर्थात् उसके साथ जैसी स्थिति हो कर के संदाय पर जॉब वर्कर के कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, आपूर्ति करेगा:

परन्तु यह कि प्रधान खंड (ख) के निबंधनों में जॉब वर्कर के कारबार के स्थान से माल की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान उस दशा के सिवाय कारबार के अतिरिक्त स्थान की घोषणा नहीं करता है—

(एक) जहां जॉब वर्कर धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा

(दो) जहां प्रधान ऐसे माल की आपूर्ति में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है.

(२). निवेश अथवा पूंजी माल के लिए लेखाओं के रख-रखाव का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगा.

(३). जहां जॉब वर्क हेतु भेजा गया इनपुट उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में जॉब वर्क या भिन्न कार्य के पूरा होने के पश्चात् प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (१) के खंड (ख) के अनुसरण में जॉब वर्कर के कारबार के स्थान से आपूर्ति नहीं की जाती है, इसे यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट की जॉब वर्कर के लिए प्रधान द्वारा आपूर्ति की गई थी उस दिन जब उक्त इनपुट बाहर भेजे गए थे.

(४). जहां जॉब वर्क हेतु भेजे गए सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी माल उपधारा (१) के खंड (क) के अनुसरण में प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (१) के खंड (ख) के अनुसरण में जॉब वर्कर के कारबार के स्थान से आपूर्ति नहीं की जाती है, इसे यह समझा जाएगा कि ऐसे पूंजी लाभ जॉब वर्कर के लिए प्रधान द्वारा आपूर्ति की गई थी उस दिन जब उक्त पूंजी माल बाहर भेजे गए थे.

(५). उपधारा (१) और उपधारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी जॉब वर्क के दौरान उत्पादित अपशिष्ट स्क्रेप कर के संदाय पर कारबार के उसके स्थान से सीधे जॉब वर्कर के द्वारा आपूर्ति की जा सकती है, यदि ऐसा जॉब वर्कर रजिस्ट्रीकृत है अथवा प्रधान द्वारा यदि जॉब वर्कर रजिस्ट्रीकृत नहीं है.

स्पष्टीकरण— जॉब वर्क के उद्देश्य हेतु इनपुट में प्रधान या किसी जॉब वर्कर द्वारा इनपुट पर लाए गए किसी उपाय या कार्यवाही से उद्भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित हैं.

कतिपय मामलों में दस्तावेजों के बारे में उपधारणा.

१४४. जहां कोई दस्तावेज—

(एक) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; अथवा

(दो) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रहित किया गया है; अथवा

(तीन) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही के क्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,

और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसने उससे संयुक्त होने का प्रयास किया हो, उसके विरूद्ध अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया है, न्यायालय—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, उपधारणा की जाएगी.

(एक) ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु की सत्यता;

(दो) यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जिसका तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित हो अथवा जिसे न्यायालय ने उचित कारणों के लिए हस्ताक्षर कराया हो अथवा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित किया गया हो और ऐसे निष्पादित या अभिप्रमाणित दस्तावेज की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्य निष्पादन या अभिप्रमाणन किया गया हो;

(ख) यह होते हुए भी कि यह सम्यकत: स्टांपित नहीं है, में दस्तावेज स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में अन्यथा ग्राह्य है.

दस्तावेज के रूप में और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की माईक्रोफिल्म, प्रतिकृति प्रतियों की ग्राह्यता.

१४५. (१) तत्समयप्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए—

(क) किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म या ऐसे माइक्रोफिल्म में लगी हुई छाया या छायाओं के पुनरुत्पादन (चाहे वह बड़ी हो अथवा नहीं); या

(ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति; या

(ग) किसी दस्तावेज में अर्न्तविष्ट कोई विवरण और जिसमें किसी कम्प्यूटर द्वारा जनित कोई मुद्रित सामग्री भी शामिल है, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए; या

(घ) किसी युक्ति या संचार माध्यम में इलैक्ट्रानिक रूप से भंडारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की हार्ड प्रतियां भी शामिल है,

को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्यवाही में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे ग्राह्य होगा जैसे मूल दस्तावेज की कोई विषय-वस्तु के साक्ष्य के रूप में या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य जो प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा.

(२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाने गये नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन करने की ईप्सा की गयी है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र—

(क) जो ऐसे दस्तावेज को परिलक्षित करता है जिसमें कथन अर्न्तविष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे प्रस्तुत किया;

(ख) जो उस दस्तावेज को बनाने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियों को देता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि दस्तावेज की किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था,

प्रमाण पत्र में कथित किसी मामले का साक्ष्य होगा और इस उपधारा से प्रयोजन हेतु यह इसका कथन करने वाले व्यक्ति की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से कहा गया कथन होने के मामले में पर्याप्त होगा.

सामान्य पोर्टल

१४६. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकरण प्रसुविधा, कर के संदाय, विवरणी के प्रस्तुतीकरण एकीकृत कर की संगणना और निपटान, इलेक्ट्रोनिक वे बिल को सुकर बनाने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों के क्रियान्वयन के लिये और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाए के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी.

निर्यात समझा जाना.

१४७. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर जहां पूर्ति किया गया माल भारत से बाहर नहीं जाता है और ऐसी पूर्ति के लिए संदाय भारतीय रूपये या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गया है, यदि ऐसा माल भारत में विनिर्मित किया गया है, कतिपय माल की पूर्ति को निर्यात के रूप में समझा जाना अधिसूचित कर सकेगी.

कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति.

१४८. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और सुरक्षा के अधीन जो विहित किए जाए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों और ऐसे कराधेय व्यक्तियों, जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित, विवरणी का प्रस्तुतीकरण कर का संदाय और ऐसे कराधेय व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है, द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष पद्धति को अधिसूचित कर सकेगी.

१४९. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित सरकार द्वारा एक माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग समानुदेशित कर सकेगी. **माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग.**

(२) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को ऐसे मानकों के आधार पर जो विहित किए जाए, अवधारित किया जा सकेगा.

(३) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को अवधारित अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकेगा तथा ऐसी रीति जो विहित की जाए पब्लिक डोमेन मे भी रखी जा सकेगी.

१५०. (१) कोई व्यक्ति— **सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता.**

(क) कोई कराधेय व्यक्ति होने के कारण; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य पब्लिक निकाय या संगम होने के कारण; या

(ग) मूल्य संबर्धित कर या विक्रय कर या राज्य आउटपुट कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद-शुल्क या सीमा शुल्क के सुग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी होने के कारण; या

(घ) आय कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आयकर प्राधिकारी होने के कारण; या

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) की धारा ४५क के खंड (क) के अर्थ के अंतर्गत कोई बैंक कंपनी; या

(च) विद्युत अधिनियम, २००३ (२००३ का ३६) या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त कोई इकाई के अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक; या

(छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का ५६) की धारा ६ के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार; या

(ज) कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार; या

(झ) मोटर यान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) के अधीन मोटर यान का पंजीकरण करने के लिए सशक्त प्राधिकारी; या

(ञ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का केंद्रीय अधिनियम सं.३०) की धारा ३ के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलक्टर

(ट) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४२) की धारा २ के खण्ड (च) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंच; या

(ठ) निक्षेपागार अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २२) की धारा २ की उपधारा (१) के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट निक्षेपागार; या

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ३ के अधीन यथागठित भारतीय रिजर्ब बैंक का कोई अधिकारी; या

(ढ) कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) के अधीन कोई रजिस्टर्ड कंपनी, माल और सेवा कर नेटवर्क; या

(ण) धारा २५ की उपधारा (९) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया विशिष्ट पहचान संख्या; या

(त) सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति; जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, लेखा रजिस्ट्रीकरण या विवरण या कोई आवधिक विवरणी या कर और माल या सेवा के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे के अंतर्विष्ट संदाय के दस्तावेज या दोनों या किसी बैंक खाता से संबंधित संव्यवहार या विद्युत खपत या क्रम या विक्रय के संव्यवहार या माल या संपत्ति का आदान प्रदान या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए ऐसी अवधि, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप या रीति में और यथाविनिर्दिष्ट, ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण के संबंध में उसकी सूचना की विवरणी भरने का उत्तरदायित्व होगा.

(२) जहां आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई उस सूचना जो त्रुटिपूर्ण है, को विचार में लेगा, वह त्रुटिपूर्ण ऐसी सूचना विवरण भरने वाले उस व्यक्ति को सूचित करेगा और उसको ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या जो कि उसकी ओर से किए गए आवेदन पर ऐसी और अवधि के भीतर त्रुटिपूर्ण के परिशोधन करने का एक अवसर देगा, उक्त प्राधिकारी अनुज्ञात करेगा और यदि त्रुटि का परिशोधन उक्त तीस दिन की अवधि या उसे अनुज्ञात की गई अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे.

(३) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है उसे वह उपधारा (१) या उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे सूचना परिदान की तारीख से नब्बे दिनों की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा.

सांख्यिकी संग्रहण की शक्ति.

१५१. (१) आयुक्त, यह विचार करता है कि इसे दिया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, उससे संबंधित या इस अधिनियम के संबंध में किसी मामले से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण करने का निर्देश दे सकेगा.

(२) ऐसी सूचना जारी करने पर आयुक्त या उसकी ओर से या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यथा विहित, ऐसे प्ररूप और रीति में उन सांख्यिकियों के संग्रहण से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा.

सूचना के प्रकटन पर वर्जन.

१५२. (१) धारा १५० या धारा १५१ के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी भी बात के संबंध में किसी व्यक्ति विवरणी या उसके भाग की सूचना, बिना सहमति के अनुरूप या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित नहीं की जाएगी ताकि विशिष्ट व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियों की पहचान हेतु समर्थ बना सके और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी.

(२) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकलन या उसके कम्प्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा १५१ में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उसकी पहुंच तक को अनुज्ञात करेगा.

(३) इस धारा की किसी बात का कराधेय व्यक्तियों के वर्ग या संव्यवहारों के वर्ग से संबंधित कोई सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगा, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है.

किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना.

१५३. सहायक आयुक्त की पंक्ति से कम नहीं कोई अधिकारी, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित के संबंध को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संविक्षा, जांच अन्वेषण या कोई अन्य प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा.

नमूनों के प्राप्त करने की शक्ति.

१५४. आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जहां वह यह विचार करता है कि यह आवश्यक है किसी कराधेय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकेगा, और लिए गए किसी भी नमूने की रसीद उपलब्ध कराएगा.

सबूत का भार.

१५५. जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह उस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा.

व्यक्ति जिन्हें लोक सेवक समझा जाएगा.

१५६. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत आने वाले लोक सेवक समझे जाएंगे.

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१५७. (१) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई कोई बात या सद्भाव में किए जाने को आशयित के लिए या अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नहीं की जाएगी.

(२) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव में की गई कोई बात या किए जाने को आशयित के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई व्यक्ति के विरूद्ध नहीं की जाएगी.

लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना.

१५८. (१) इस अधिनियम के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए विवरण, दी गई विवरणी या लेखा या दस्तावेजों या (दंड न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य को कोई अभिलेख या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के किसी अभिलेख में अंतर्विष्ट सभी विवरणों को उपधारा (३)में यथाउपबंधित के सिवाय प्रकट नहीं किया जाएगा.

(२) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ में किसी बात के होते हुए अंतर्विष्ट, कोई न्यायालय, उपधारा (३) में यथाउपबंधित के सिवाय, उपधारा (१) में निर्दिष्ट विवरण के संबंध में उसके पेश किए जाने से पहले या साक्ष्य दिए जाने से पहले इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी से अपेक्षा नहीं करेगा.

(३) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी,—

(क) भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ (१८६० का ४५), (१९८८ का ४९) या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई विशिष्टियां; या

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कार्यकारी कोई व्यक्ति कोई विशिष्टियां; या

(ग) किसी नोटिस के तामिल या किसी मांग की वसूली के लिए कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण कार्य द्वारा जहां ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियां; या

(घ) किसी भी वाद या कार्यवाहियों में एक सिविल न्यायालय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन सरकार का कोई प्राधिकारी, एक पक्षकार है जो कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाहियों में उद्भूत किसी मामले संबंधित है, इसके अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिये ऐसा कोई प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है कि कोई विशिष्टियां; या

(ङ) इस अधिनियम द्वारा कर प्राप्ति की लेखापरीक्षा या अधिरोपित कर के प्रतिदाय के प्रयोजन के लिये नियुक्त किसी अधिकारी की कोई विशिष्टियाँ; या

(च) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी जांच करने के लिये प्रयोजन के लिये जहां ऐसे विवरण सुसंगत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जांच अधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति की कोई विशिष्टियां; या

(छ) कर या शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिये सरकार को सशक्त बनाने के प्रयोजन के लिये यथा आवश्यक, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी की कोई ऐसी विशिष्टियां; या

(ज) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन उसकी या उसकी शक्तियां कोई लोक सेवक या कोई अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण कार्य द्वारा जब ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियां; या

(झ) यथास्थिति, किसी विधि व्यवसाय, किसी लागत लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव के व्यवसाय में व्यवसायरत सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिये प्राधिकारी को सशक्त किए जाने के लिये विधि व्यवसाय अधिवक्ता, कर व्यवसायिक, लागत लेखाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट; कंपनी सचिव के व्यवसाय में लगे हुए के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के संबंध में अवचार के आरोपों में की गई जांच से संबंधित कोई विशिष्टियां; या

(ञ) डाटा प्रविष्टि या स्वचालित प्रणाली के प्रयोजन के लिये या संचालन, उन्नत करने या किसी स्वचालित प्रणाली के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिये जहां ऐसे अभिकरण पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये को छोड़ ऐसी विशिष्टियों के प्रयोग या प्रकट करने की संविदा आबद्ध नहीं है, किसी अभिकरण का नियुक्त किए जाने की कोई विशिष्टियां; या

(ट) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रयोजन के लिये यथाआवश्यक सरकार के किसी अधिकारी की कोई विशिष्टियां; और

(ठ) प्रकाशन के लिये किसी कराधेय व्यक्तियों के प्रवर्ग या संव्यवहार के वर्ग की ऐसी सूचना का प्रकाशन यदि, आयुक्त की राय में यह लोकहित में वांछनीय है, से संबंधित कोई सूचना,

को प्रकटन करने को लागू होगी.

कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन.

१५९. (१) यदि आयुक्त, या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी की यह राय है कि ऐसे व्यक्तियों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों या अभियोजन से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम और कोई अन्य विशिष्टियों का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, जो वह ठीक समझे, ऐसी रीति में ऐसे नाम और विशिष्टियों का प्रकाशन कर सकेगा.

(२) इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में की जाती है जब तक धारा १०७ के अधीन अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिये समय किसी अपील को प्रस्तुत किए बिना अवसान हो जाता है या कोई अपील यदि प्रस्तुत की जाती है, का निपटारा किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—यथास्थिति, फर्म, कंपनी या व्यक्तियों का संगम, फर्म के भागीदारों का नाम, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों या सदस्यों का संगम की दशा में; प्रकाशित किया जा सकेगा, यदि आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति न्यायोचित ठहराई गई है.

कतिपय आधारों पर निर्धारण कार्यवाहियां, आदि का अविधिमान्य न किया जाना.

१६०. (१) इस अधिनियम के किसी उपबंधों के अनुसरण में कोई निर्धारण पुन:निर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या की गई अन्य कार्यवाहियां, प्रतिग्रहण, बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया अविधिमान्य या उसमें किसी गलती, त्रुटि का लोप होने के कारण अविधिमान्य समझा नहीं जाएगा, यदि ऐसे निर्धारण, पुनर्निधारण न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम या विद्यमान किसी विधि के आशय, प्रयोजन और अपेक्षा अनुरूपता या के अनुसरण में सार और प्रभाव हैं.

(२) नोटिस, आदेश या संसूचना की तामील, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यदि यथास्थिति, नोटिस, आदेश या संसूचना उस व्यक्ति को पहले ही पहुंचा दिया गया है जिसके नाम उसे जारी किया गया है जहां ऐसे तामील प्रश्नगत नहीं किया गया है या ऐसे नोटिस, आदेश या संसूचना के अनुसरण में पूर्व प्रारंभिक कार्यवाइयां चालू और अतिक्रम में की गई हो.

अभिलेख पर प्रकट त्रुटि का परिशोधन.

१६१. धारा १६० के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी अन्य बातों के होते हुए भी कोई प्राधिकारी, जो किसी पारित या जारी कोई विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज में किसी त्रुटि का परिशोधन कर सकेगा जिसमें ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज में अभिलेख को देखने से ही प्रकट होता है, या तो उसके स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर या जहां ऐसी त्रुटियां इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का क्र. १२) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या यथास्थिति, ऐसे विनिश्चिय या आदेश या नोटिस या प्रमाण-पत्र या कोई अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के दौरान प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी में लाई जाती है:

परंतु यह कि ऐसे परिशोधन ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् किया जाएगा:

परंतु यह और कि उक्त छह मास की अवधि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां परिशोधन लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि, किसी घटनावश चूक या लोक में उद्भूत संशोधन के स्वरुप में शुद्धता की गई हो:

परंतु यह भी कोई व्यक्ति ऐसे परिशोधन के प्रतिकूल प्रभावित है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का ऐसे परिशोधन किए जाने का प्राधिकारी द्वारा पालन किया गया हो.

सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन.

१६२. धारा ११७ और ११८ में यथाउपबंधित के सिवाय कोई सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या किया गया तात्पर्यित है से संबंधित कार्यवाही करना या किसी प्रश्न से उद्भूत विनिश्चय की अधिकारिता नहीं होगी.

फीस उद्ग्रहण

१६३. जहां कहीं किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति उस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है, वहां यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस संदत्त की जाएगी.

नियमों को बनाने की सरकार की शक्ति.

१६४. (१) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) उपधारा (१) के उपबंधों पर साधारणतया प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, सभी या इस अधिनियम द्वारा कोई भी मामले जो अपेक्षित है या विहित किया गया है या उन उपबंधों के संबंध में जो किए जाने है या नियमों द्वारा बनाए जा सके, नियम बना सकेगी.

(३) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में या उनमें से किन्हीं को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी जो उस तारीख से पूर्ववर्ती तारीख नहीं होगी जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवत्त होंगे.

(४) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन बनाए गए कोई नियमों का उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये से अनाधिक शास्ति लगाए जाने के दायी का उपबंध कर सकेगा.

विनियम बनाने की शक्ति.

१६५. आयुक्त, इस अधिनियम को उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी.

नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना.

१६६. इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम, आयुक्त द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने के पश्चात् राज्य विधान-मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या अनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मंडल नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या राज्य विधान-मंडल इस बात के लिये सहमत हो जाते हैं कि ऐसे नियम, विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, विनियम या अधिसूचना उसके पश्चात् यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी रहेगी; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, इस नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

शक्तियों का प्रत्यायोजन.

१६७. आयुक्त, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई है, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या कार्यालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए किसी और प्राधिकारी या कार्यालय द्वारा भी प्रयोग करने का निवेश कर सकेगा.

अनुदेशों या निर्देशों को जारी करने की शक्ति.

१६८. आयुक्त, यदि इस अधिनियम के कार्यान्वियन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य कर अधिकारियों को जो उचित समझे ऐसा आदेश अनुदेश या निदेश जारीकर सकेगा और इस अधिनियम के कार्यान्वियन में नियोजित सभी ऐसे अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों का संप्रेक्षण और पालन करेंगे.

कतिपय मामलों की नोटिस की तामील.

१६९. (१) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना को निम्नलिखित किन्हीं पद्धतियों द्वारा तामील की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रेषिती कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता या कर व्यवसायी जिसके पास कराधेय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने के प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ रह रहे किसी व्यस्क व्यक्ति को सीधे देकर या सुपुर्द करके या संदेशवाहक जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्वारा;

(ख) व्यक्ति, जिससे आशयित है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई है, उसके कारबार या निवास का अंतिम स्थान जो जानकारी में है, को जिससे अभिस्वीकृति देय है रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा;

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा;

(ङ) परिक्षेत्र जहां, कराधेय व्यक्ति या व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया था, इससे पहले रहता था, कारबार करता था या व्यैक्तिक तौर पर अभिलाभ के लिये कार्य करता था, समाचार पत्र में प्रकाशन करके प्रचालन द्वारा;

(च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग व्यवहारिक नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम स्थान पर किसी सहज दृश्य जगह चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसी पद्धति भी व्यवहारिक नहीं होती है तो संबद्ध कार्यालय या प्राधिकारी जिसने या जिसके द्वारा ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी किया गया है, के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा तामील की जाएगी.

(२) प्रत्येक विनिश्चिय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना की उसी तारीख को तामील हुई समझी जाएगी जिस पर इसे सुपुर्द किया गया या प्रकाशित किया गया या उपधारा (१) में उपबंधित रीति से एक प्रति वहां चिपकाई गई.

(३) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश समन, नोटिस या किसी संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, तो समान्यत: जितनी अवधि ऐसी डाक को पहुंचने में लगती है, के अनुसार प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं होती.

कर आदि का पूर्णांकन आदि.

१७०. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर की रकम, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य संदेय रकम और प्रतिदाय की रकम या कोई अन्य देय रकम निकटम रुपए के लिए पूर्णांकित होगी और, इस प्रयोजन के लिये जहां ऐसी रकम जिसमें रुपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उसके अधिक है, तो एक रुपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.

मुनाफाखोरी निरोध उपाय.

१७१. (१) किसी माल या सेवाओं या ईनपुट पर प्रत्यय के फायदे पर कर की दर में किसी कमी को मूल्यों में अनुरूप कमी के तौर पर प्राप्तकर्ता को दे दी जाएगी.

(२) केन्द्रीय सरकार यह परीक्षा करने के लिये कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग ईनपुट पर प्रत्यय या कर दर में कमी से वास्तव में परिणामत: माल और सेवाओं या उसके द्वारा प्रदाय किए गए दोनों के मूल्यों में अनुरूप कमी हुई हुई है, परिषद् की सिफारिशों पर, उस समय प्रवृत्त किसी अवधि अधिसूचना द्वारा, प्राधिकारी का गठन या किसी विद्यमान प्राधिकारी को सशक्त बना सकेगी.

(३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट प्राधिकारी यथाविहीत ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा.

कठिनाइयों को दूर करना.

१७२. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, किसी साधारण या किसी विशेष आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी/ऐसे उपबंध कर सकेगी.

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा.

कतिपय अधिनियमों का संशोधन.

१७३. इस अधिनियम के संपूर्ण अथवा किसी भाग के प्रवृत्त होने की तारीख से, इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि क्रमांक-५४ में उल्लेखित मालों से संबंधित म.प्र. वेट अधिनियम २००२ (२००२ का क्रमांक २०) की अनुसूची १ तथा अनुसूची २ के मालों की प्रविष्टियों तथा इन मालों से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों को छोड़कर, म. प्र. वेट अधिनियम, २००२ (२००२ का क्रमांक २०) की अनुसूची १ तथा अनुसूची २ की समस्त प्रविष्टियों तथा अन्य मालों से संबंधित प्रावधान विलोपित हो जायेंगे.

निरसन और व्यावृत्ति.

१७४. (१) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही निम्नलिखित अधिनियमों का निरसन किया जाता है :—

(एक) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ वर्ष १९७६)

(दो) मध्यप्रदेश विलासित, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम २०११ (क्रमांक ११ वर्ष २०११)

(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है)

(२) धारा १७३ या उपधारा (१) में उल्लिखित सीमा तक उक्त अधिनियमों का निरसन और धारा १७३ में विनिर्दिष्ट अधिनियमों का संशोधन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति ''ऐसा संशोधन'' या ''संशोधित अधिनियम'' कहा गया है),—

(क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय किसी भी अप्रवृत्त या अविद्यमान को पुन: प्रवर्तित नहीं करेगा; या

(ख) पूर्व प्रचालित उक्त अधिनियमों या निरसित अधिनियम, १९९५ का अधिनियम, क्रमांक ५ जो २००२ के अधिनियम क्रमांक २० द्वारा निरसित या मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अध्यादेश, १९७६ (१९७६ का क्रमांक ६) जो कि १९७६ के अधिनियम ५२ द्वारा निरसित या मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विकास वस्तुओं पर कर अधिनियम, १९८८ (१९८८ का क्रमांक १३) ओर मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम, १९३६ (१९३६ का क्रमांक ३०) और इनके अधीन किये गये आदेशों अथवा सम्यक् रूप से किए गए या भुक्ती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) ऐसे निरसित या संशोधित अधिनियमों के अधीन अथवा संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अंतर्गत आदेश किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा;

परंतु यह कि निरसित अधिनियम के अधीन अधिसूचना द्वारा कोई कर छूट अनुदत्त है तो नियत दिन के पश्चात् उसे विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रखा जायेगा;

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज जो देय हैं या देय हो सकते हैं या कोई समपहरण या संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के खिलाफ किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा;

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य कोई विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तित कर सकेगा और कोई ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण या दंड उद्गृहीत या अधिरोपित हो सकेगा जैसे कि इन अधिनियम को इस प्रकार से संशोधित या निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा;

१८९७ का १०. (च) कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हें नियत दिन से पूर्व या उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन जारी रहेंगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियम को संशोधित और निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा.

(३) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में साधारण खंड अधिनियम, १८९७ की धारा ६ के साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभावित करने के लिए उपधारा (१) और (२) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा.

अनुसूची १

[धारा ७]

क्रियाकलापों को प्रदाय के रूप में माना जाए यदि बिना प्रतिफल के किया गया

१. कारबार आस्तियों का स्थाई अंतरण या निपटान, जहां ऐसी आस्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है.

२. जब कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में किया गया, धारा २५ में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच में माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय:

परंतु यह कि किसी नियोजन द्वारा किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार से अनधिक मूल्य का दान दिया गया, को माल या सेवा या दोनों का प्रदान नहीं माना जाएगा.

३. (क) किसी प्रधान द्वारा उसके अभिकर्ता को माल का प्रदाय, जहां अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल का प्रदाय करने का वचन देता है.

(ख) किसी अभिकर्ता द्वारा उसके प्रधान को माल का प्रदाय, जहां अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का वचन देता है.

४. कारबार के अग्रसर या अनुक्रम में, कराधेय व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात.

अनुसूची २

[धारा ७]

क्रियाकलापों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाए

१. अंतरण—

(क) माल में हक का कोई अंतरण, माल का प्रदाय है;

(ख) माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का उसके हक के अन्तरण के बिना, कोई अंतरण, सेवाओं का प्रदाय है;

(ग) किसी करार के अधीन किया गया माल में के हक का कोई अंतरण जो नियत करता है कि माल में की संपत्ति का करार अनुसार पाये गये पूर्ण प्रतिफल के संदाय पर, भविष्य की तारीख को हस्तांतरित करेगा, माल का प्रदाय है;

२. भूमि और भवन—

(क) कोई पट्टा अभिधृति, सुखाचार, भूमि के अधिभोग की अनुज्ञप्ति, सेवाओं का प्रदाय है;

(ख) भवन जिसके अंतर्गत कारबार या वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय प्रक्षेत्र पूर्णत: या अंशत: कोई पट्टा या किराए पर देना, सेवाओं का प्रदाय है.

३. व्यवहार या प्रक्रिया—

कोई व्यवहार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल पर लागू की जाती है, सेवाओं का प्रदाय है.

४. कारबार आस्तियों का अंतरण—

(क) जहां माल जो कारबार की संपत्ति का भाग है, को व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेशों के अधीन या द्वारा अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है जिससे कि वह उन आस्तियों का और हिस्सा न रहें; जो विचारणीय है या नहीं, ऐसे अंतरण या व्ययन, व्यक्ति द्वारा माल का प्रदाय हैं;

(ख) जहां कारबार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उसके निदेश के अधीन, कारबार के प्रयोजन के लिये रखे या उपयोग किए गए माल को कारबार के प्रयोजनों से भिन्न किसी निजी उपयोग के लिए रखा गया है या उपयोग कर लिया गया है या किसी व्यक्ति को कारबार के प्रयोजन के सिवाय किसी प्रयोजन में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है, चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो, ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्ध करवाना, सेवाओं की पूर्ति है;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत हो जाता है, कोई माल जो उसके द्वारा चलाए गए कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रवरित होने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में उसके द्वारा प्रदाय किया गया समझा जाएगा, जब तक कि:—

(एक) अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में कारबार का अंतरण नहीं कर दिया जाता है; या

(दो) कारबार ऐसे वैयक्तिक प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा.

५. सेवाओं का प्रदाय—
निम्नलिखित को सेवा का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात् :—

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना;

(ख) पूर्णता प्रमाण-पत्र के जारी होने के पश्चात् जहां पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है, जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो या कब्जा मिलने के पश्चात्; जो भी पहले हो, के सिवाय प्रक्षेत्र का संनिर्माण, भवन, सिविल संरचना या उसका कोई भाग, जिसके अंतर्गत क्रेता को विक्रय के लिए आशयित पूर्णत: या अंशत: प्रक्षेत्र या भवन.

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए—

१९७२ का २०. (१) अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समापन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकारी और ऐसे प्राधिकारी की ओर से ऐसा प्रमाण-पत्र गैर अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित किन्हीं में से, अर्थात्:—

(एक) वास्तुविद् अधिनियम, १९७२ के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद्; या

(दो) इंजीनियरी संस्थान (भारत) के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजीनियर; या

(तीन) क्रमश: शहर का स्थानीय निकाय या कस्बा या गांव या विकास या योजना प्राधिकारी का कोई अनुज्ञप्त सर्वेक्षक;

(२) अभिव्यक्ति "सन्निर्माण" जिसके अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में अतिरिक्त निर्माण परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुन: प्रतिरूपण है;

(ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थाई अंतरण करना;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, क्रमादेशन, अनुकूलत, उन्नति, वृद्धि, क्रियान्वयन;

(ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य का करना; और

(च) किसी प्रयोजन (किसी विनिर्दिष्ट अविधि के लिए या नहीं) नकद.

आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को उपयोग करने के अधिकार का अंतरण.

६. संयुक्त प्रदाय—

निम्नलिखित संयुक्त प्रदायों को सेवाओं का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात्:—

(क) धारा २ के खंड (११९) में यथा परिभाषित कार्य संविदा; और

(ख) किसी सेवा के द्वारा या हिस्से के रूप में या किसी अन्य रीति में जो भी हो, माल खाद्य वस्तुएं या मानव उपभोग के लिए अन्य चीजे या कोई पेय (मानव उपयोग हेतु शराब द्रवण के अतिरिक्त) जहां ऐसा प्रदाय या सेवा नकद, विरत संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए होता है, का प्रदाय.

७. माल का प्रदाय—

निम्नलिखित को माल के प्रदाय के रूप में माना जाएगा, अर्थात्:—

किसी सदस्य को किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा नकद, विरत संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय.

अनुसूची ३

(धारा ७)

क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय

१. कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक को सेवाएं.

२. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं.

३. (क) संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पालन किए गए कृत्य;

(ख) उस हैसियत में संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए गए कर्तव्य; या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित निकाय में अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा गया हो पालन किये गये कर्तव्य.

४. अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवाएं.

५. भूमि का विक्रय और अनुसूची-२ के पैरा ५ के खंड (ख) के अध्यधीन भवन का विक्रय.

६. लाटरी, दांव और द्यूत के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे.

स्पष्टीकरण—पैरा २ के प्रयोजन के लिए शब्द ''न्यायालय'' जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी है.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

वर्तमान में राज्य शासन द्वारा मालों तथा सेवाओं पर वेट, प्रवेशकर, विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर उद्ग्रहीत किये जाते हैं. केन्द्र शासन द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर तथा केन्द्रीय विक्रय कर उद्ग्रहीत किये जाते हैं.

२. राज्य तथा केन्द्र द्वारा ऊपर वर्णित उद्ग्रहीत सभी कर, माल एवं सेवा कर नाम की एक ही कर-प्रणाली में समाहित किये जाना प्रस्तावित हैं जो एक दोहरी कर प्रणाली होगी, जिसमें माल एवं सेवाओं की अन्तरराज्यीय पूर्ति पर केन्द्र शासन, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर रूप में कर उद्ग्रहीत एवं संग्रहित करेगी तथा राज्य शासन राज्य सेवा एवं माल कर रूप में कर उद्ग्रहीत एवं संग्रहित करेगी.

३. राज्य माल एवं सेवाकर विधेयक, २०१७ में मुख्य रूप से निम्नानुसार प्रावधान है:—

(क) मानव उपयोग हेतु मदिरा की पूर्ति को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के माल और सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति पर, गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स काउंसिल द्वारा अनुशंसित अधिसूचित दर से कर उद्ग्रहीत करना जो २० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(ख) व्यवसाय के अनुक्रम में उपयोग होने वाले माल तथा सेवाओं अथवा दोनों पर चुकाये गये करों की, आगत कर क्रेडिट देने से, कर आधार में वृद्धि होगी.

(ग) इलेक्ट्रानिक कार्मस ऑपरेटरर्स द्वारा अपने पोर्टल के माध्यम से माल अथवा सेवाएं अथवा दोनों की पूर्ति करने पर, सप्लायर्स को भुगतान करने के पूर्व, कर योग्य पूर्ति के शुद्ध मूल्य पर १ प्रतिशत से अनधिक दर से स्रोत पर कर वसूल करने का दायित्व आयेगा.

(घ) पंजीयत व्यक्तियों द्वारा अपने देय कर के स्व-निर्धारण का प्रावधान किया गया है.

(ङ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंजीयत व्यक्तियों का अंकेक्षण करने का प्रावधान किया गया है.

(च) कर राशि की बकाया की वसूली करने के विभिन्न तरीकों का प्रावधान, यथा बकायादार के माल, चल एवं अचल सम्पत्ति को जप्त तथा नीलाम करने आदि के प्रावधान शामिल किये गये हैं.

(छ) अधिकारियों को जांच, तलाशी, जप्ती एवं गिरफ्तार किये जाने के अधिकार प्रदान किये गये हैं.

(ज) अपीलीय प्राधिकारी अथवा निगरानी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील सुनवाई हेतु राज्य शासन द्वारा गुड्स एडं सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन प्रावधान किया गया है.

(झ) प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर शास्ति आरोपित करने के प्रावधान किये गये हैं.

(ण) वर्तमान करदाताओं का माल एवं सेवाकर प्रणाली में सुगम संक्रमण सुनिश्चित करने के लिये विस्तृत संक्रमण संबंधी प्रावधान किये गये हैं.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है

भोपाल :
दिनांक २७ अप्रैल, २०१७

जयन्त मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, २०१७ के खण्ड ३ के द्वारा इस विधेयक के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्य कर प्राधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी. विधेयक के प्रावधानों का क्रियान्वयन वाणिज्यिक कर विभाग के वर्तमान कर्मचारियों के पुनर्विनियोजन से किया जायेगा. वर्ष २०१७-१८ के वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित किये गए बजट प्रावधान के अनुसार ही यह व्यय किये जायेंगे.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, २०१७ के निम्नलिखित खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

१. खण्ड १ के उपखण्ड ३ के द्वारा अधिनियम को प्रभावशील करने की तारीख सुनिश्चित किए जाने;

२. खण्ड २ के उपखण्ड ३३, ३४, ८१ एवं ९८ द्वारा माल के निरंतर प्रदाय एवं सेवाओं के निरंतर प्रदाय संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने;

३. खण्ड ३ द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने;

४. खण्ड ६ द्वारा कतिपय परिस्थितियों में समुचित प्राधिकारी घोषित किए जाने;

५. खण्ड १० द्वारा प्रशमन के विषय में शर्तों एवं निर्बंधन तय किए जाने;

६. खण्ड ११ द्वारा कर से छूट दिये जाने;

७. खण्ड १५ के उपखण्ड ५ द्वारा मूल्य के अवधारण की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये अधिसूचना जारी किए जाने;

८. खण्ड १८ द्वारा विशेष परिस्थितियों में इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में सेवा शर्तें निर्धारित किए जाने;

९. खण्ड १९ द्वारा जॉब वर्क के संबंध में शर्तें एवं नियम सुनिश्चित किए जाने;

१०. खण्ड २० द्वारा इनपुट सेवा वितरक के संबंध में नियम बनाये जाने;

११. खण्ड २२ लगायत ३० द्वारा पंजीयन जारी करने, निरस्त करने, संशोधन करने;

१२. खण्ड ३१ द्वारा कर बीजक के संबंध में अधिसूचना द्वारा शर्तें तय किये जाने;

१३. खण्ड ३२, ३३, ३४ द्वारा कर का अप्राधिकृत संग्रहण पर प्रतिषेध, किये जाने, कर बीजक में दर्शाई जाने वाली कर की रकम एवं जमा नामे के संबंध में;

१४. खण्ड ३५ एवं ३६ द्वारा संबंधित लेखे एवं अन्य अभिलेख संधारित करने के संबंध में;

१५. खण्ड ३७ द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे, खण्ड ३८ आवक पूर्तियों के ब्यौरे एवं खण्ड ३९ विवरणियों से संबंधित मामलों के संबंध में;

१६. खण्ड ४२ द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का मिलान उलटाव एवं वापसी के विषय में प्रक्रिया, शर्तें एवं रीति का निर्धारण किए जाने एवं इसी प्रकार खण्ड ४३ में आउटपुट के बारे में आये प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में;

१७. खण्ड ४४, ४५ एवं ४६ में वार्षिक एवं अंतिम विवरणी के संबंध में प्ररूप एवं रीति विहित किए जाने,

१८. खण्ड ४८ में माल और सेवा कर व्यवसाई से संव्यवहार के अनुमोदन की रीति, उसकी पात्रता की शर्तें एवं बाध्यता हटाने की रीति तथा शर्तें विहित किए जाने;

१९. खण्ड ४९ एवं ५० द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति के प्रावधान के संबंध में;

२०. खण्ड ५१, ५२ एवं ५३ द्वारा स्रोत पर कर की कटौती तथा स्रोत पर कर का संग्रहण तथा इनके क्रियान्वयन के संबंध में;

२१. खण्ड ५४ द्वारा कर प्रतिदाय के संबंध में प्ररूप, रीति एवं आवेदन प्रपत्र निर्धारित किये जाने;

२२. खण्ड ५५ द्वारा कतिपय मामलों में प्रतिदाय के संबंध में;

२३. खण्ड ५८ द्वारा उपभोक्ता कल्याण निधि से संबंधित प्ररूप विहित किए जाने;

२४. खण्ड ६१ द्वारा विवरणियों की समीक्षा एवं सत्यापन के संबंध में रीति विहित किए जाने;

२५. खण्ड ६५ एवं ६६ द्वारा लेखा परीक्षा के लिए समय, अवधि एवं रीति विहित किए जाने;

२६. खण्ड ६७, ६८, ६९, ७०, ७१ एवं ७२ द्वारा निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण एवं गिरफ्तारी के संबंध में.

२७. खण्ड ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३ एवं ८४ द्वारा मांग का सृजन तथा उसकी वसूली के संबंध में;

२८. खण्ड-८५ लगायत ९३ द्वारा कतिपय मालों में संदाय करने के संबंध में अभिकर्ता, कम्पनी के विलयन, निदेशक के दायित्व, फर्म के भागीदारों के दायित्व, न्यासियों के दायित्व एवं प्रधानकर्ता के दायित्व तथा अन्य मामलों में दायित्व, न्यासियों के दायित्व एवं प्रधानकर्ता के दायित्व तथा अन्य मामलों में दायित्व सुनिश्चित किए जाने;

२९. खण्ड-९५ से १०५ द्वारा अग्रिम विनिर्णय हेतु एवं अपील के लिए यथाआवश्यक प्रक्रिया विनिर्मित करने के संबंध में;

३०. खण्ड-१०७ से ११९ द्वारा अपील एवं पुनरीक्षण के संबंध में;

३१. खण्ड-१२२ से १३८ द्वारा अपराध एवं शास्तियों के संबंध में एवं सूचना और सुनवाई के अवसर तथा जानकारी से संबंधित प्ररूप एवं रीति विहित किए जाने; और

३२. विधेयक के खण्ड-१४३ से १७४ द्वारा जॉब वर्क की प्रक्रिया, साक्ष्य के संबंध में, सूचना प्रदान करने के संबंध में एवं भूल-सुधार की करने के संबंध में;

राज्य सरकार नियम बना सकेगी, उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.